

आयुक्त—सह—अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2023 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री गोपाल मीणा, आयुक्त—सह—अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
2. श्री बरुण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
3. श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर — सदस्य के अवकाश में रहने के कारण वरीय उप समाहर्ता, राजस्व, मुजफ्फरपुर उपस्थित हुए।

कार्यवाही:-

1. आयुक्त—सह—अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं वी० सी० से जुड़े सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
2. विगत बैठक दिनांक 29.11.2023 की कार्यवाही के अनुपालन का निदेश दिया गया।
3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।
4. मोटरयान अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण नियमों/प्रावधानों यथा— 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एवं 96 इत्यादि तथा उसके विषय की विस्तृत जानकारी सभी पदाधिकारियों एवं आवेदकों को दी गयी, ताकि परमिटधारी अपने परमिट का सही उपयोग कर सके। दिनांक 24.02.2023 को प्राधिकार की बैठक में समय—अंतराल पर लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए निर्धारित समय अंतराल वाले आवेदन को परमिट हेतु स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

दिसम्बर—2023 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु कुल 41 नये आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर भी विचार किया गया, जो कार्यवाली संख्या—3(i)—परिशिष्ट—IV पर दर्ज है। इस नियम के आधार पर कुल प्राप्त आवेदनों की स्थिति निम्न है—

कुल आवेदन	स्वीकृत	संशोधित स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	लंबित आवेदन
41	21	12	06	01	01

(कुल स्वीकृत— 21 + 12 = 33)

कुल 11 लंबित आवेदनों पर भी विचार किया गया।

प्राधिकार का निर्णय पृष्ठ संख्या 19 से 52 तक कुल 34 पन्नों में संलग्न है।

सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्रमांक	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06. 04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये

5 11 2

	1932 दिनांक	12.03.2021	निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का निर्देश।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985		राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991		राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
6	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का ज्ञापांक 1932 दिनांक 12.03.2021		शापथ-पत्र एवं वांछित कागजात के संबंध में।
7	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 2372 दिनांक 11.04.2023		मार्ग संख्या-415, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, भाया-बेनीबाद पर परमिट निर्गत करने का आदेश।
8	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 03.04.2023		वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
9	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023		बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
10	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023		सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।

5 (i) बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राईवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 30.06.2023 की बैठक में सभी बस मालिकों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को निर्देश दिया गया कि अपने बसों के दोनों तरफ (i) परमिटधारी का नाम एवं पता (ii) परमिट संख्या एवं वैधता (iii) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (iv) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा ले, अन्यथा दिनांक 31.07.2023 के बाद बसों के दोनों तरफ उक्त विवरणी अंकित नहीं पाये जाने पर नियमानुसार प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करें एवं जाँच प्रतिवेदन भेजें।

(ii) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना:- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यवसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, परन्तु अभी भी अधिकांश बस मालिकों द्वारा अपने बस में VLTD स्थापित नहीं कराया गया है।

6/21/2

अतएव सभी वाहन मालिकों को निर्देश है कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) कराना सुनिश्चित करें। V.L.T.D. स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे।

साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में V.L.T.D. स्थापित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को पुनः निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करें एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

- (iii) वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी/गति सीमा :-
सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)
1	0-5	असीमित
2	5-10	600
3	10-15	400
4	15 से ऊपर	100

4 सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन की आयु परमिट की वैधता की तिथि के पूर्व ही 15 वर्ष हो जायेगी, उसके वाहन स्वामी 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पहले उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे। 15 वर्ष पूरा होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। उक्त अवधि के बाद परिचालन पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

- (iv) गति सीमा का पालन** :- सभी आवेदक/वाहन स्वामी से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्रधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-8(1)(1) में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

के साथ संलग्न नहीं रहन पर उनका अवधन रद्द कर दिया जाएगा। यदि सीमा के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रमादी वाहन के परमिट को रद्द कर दिया जाएगा एवं वाहन स्थारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- (v) Overlapping of Route:-** मार्ग भिन्नता से संबंधित मामले प्रकाश में आ रहे हैं। एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है। दुसरे मार्ग पर परमिट धारक आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट है कि जब एक मार्ग दुसरे मार्ग से भिन्न हो तथा 40 प्रतिशत तक एक-दुसरे को अच्छादित करता हो तो दोनों मार्ग को भिन्न मानते हुए परमिट निर्गत किया जाएगा तथा जब एक मार्ग दुसरे मार्ग की 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो तो उन दोनों मार्गों को भिन्न नहीं मानते हुए उस पर परमिट निर्गत नहीं किया जाएगा। यह निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है।

(vi) उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ :— जिन वाहन स्वामी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः यिहित प्रक्रिया अपना कर आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की अगली बैठक में “पहले आओ-पहले पाओ” के नियम के आधार पर आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।

6. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा आरटी०ए० में सुगमता, पारदर्शिता एवं परमिटधारियों की सुविधा हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं जिसकी जानकारी विस्तार से दी गयीः—

- (i) परमिट हेतु निर्णय सिर्फ ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है। ऑफलाईन कागजात सिर्फ कार्यालय अभिलेख के लिए है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन में विसंगति पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द कर दिया जायेगा।
- (ii) पूर्ण आवेदन देने हेतु सभी जानकारी आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर प्रकाशित किया जाता है, ताकि आवेदक को सभी आवश्यक सूचना एक ही जगह पर सुगम तरीके से प्राप्त हो सके, यथा—मार्गवार सभी बसों की समय-सारणी इत्यादि। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का Sample भी बेवसाईट पर अपलोड किया गया है।
- (iii) आवेदन स्वीकृति के पश्चात निर्गत परमिट आवेदक के पता पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाती है। साथ ही निबंधित डाक पावती को परमिट के कार्यालय प्रति पर रख कर उसे Scan किया जाता है तथा उस परमिट की प्रति को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर प्रकाशित किया जाता है, ताकि परमिट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदक अपने निर्गत परमिट की Status की जानकारी प्राप्त कर सके। पता गलत होने पर निबंधित डाक वापस आ जाने की स्थिति में आवेदक पर 1000=00 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माना जमा करने पर ही पुनः निबंधित डाक से परमिट संशोधित पता पर भेजा जाता है। अतएव सभी आवेदकों से अनुरोध किया गया कि निबंधन पुस्तिका/ Owner book में अपना पता अद्यतन करा लें।
- (iv) समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी परमिटधारी/वाहन स्वामियों को प्राधिकार के निर्णय से अवगत कराया जाता है।

क्र० सं०	विषय	कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
1	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना के संबंध में।	पत्रांक-282, दिनांक-15.04.2023	हिन्दुस्तान	19.04.2023
2	जुर्माना जमा करने के संबंध में।	पत्रांक-415, दिनांक-31.05.2023	प्रभात खबर एवं हिन्दुस्तान	03.06.2023
3	जुर्माना नहीं जमा करने पर परमिट के निलंबन के संबंध में।	पत्रांक-717, दिनांक-28.06.2023	हिन्दुस्तान	29.06.2023
4	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं V.L.T.D स्थापित करने के संबंध में।	पत्रांक 834 दिनांक 15.07.2023	दैनिक जागरण	16.07.2023

- (v) V.L.T.D. रिपोर्ट एवं Toll Plaza से रिपोर्ट प्राप्त कर वाहन के परिचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
- (vi) आवेदन एवं एजेन्डा पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर एवं उस पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है।

8 2

- (vii) गंभीर आपत्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया जाता है।
- (viii) **शिकायत हेतु E-mail/ whatsapp नम्बर :-** यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो E-mail id-rtamuztirhutbih@bihar.gov.in या टेलीफोन नं 0 06212212103 पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनके नाम को गोपनीय रखते हुए शिकायत की जाँच करायी जाएगी। शिकायत सही होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन स्वामी को कोई कार्य हो तथा कोई अभिलेख जमा करना अथवा प्राप्त करना हो तो कार्यालय के काउण्टर नम्बर 01 से सम्पर्क कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। यदि उन्हें कार्यालय आना पड़े तो प्राथमिकता के आधार पर पहले संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से मिल कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। उनसे संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर से मिलकर कार्य का निष्पादन कराया जा सकता है। फिर भी संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी कार्यों के निष्पादन के संबंध में बात कर सकते हैं।
- (ix) **बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :-** सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गयी कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात V.C. के माध्यम से बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराह्न 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

7. सामान्य निदेश:-

- (i) **इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :-** उन सभी बसों को जिनके परमिट पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, उन्हें एक सप्ताह में वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना होगा एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है।
(अनुपालन: आर०टी०ए० सचिव/सभी परमिटधारी)
- (ii) **अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :-** जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन हो रहा है तो वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वैसे बसों को अभियान चलाकर पकड़ने तथा उस पर नियमानुसार जुर्माना लगाने का निदेश सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डल अन्तर्गत को दिया गया। यदि प्रतिहस्ताक्षर रहित बस के स्वामी द्वारा तथ्य छुपाकर परमिट हेतु आवेदन किया गया, तो जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित बस जिस बोर्ड समूह/बैनर के अधीन परिचालित हो रही है, उस बोर्ड समूह के किसी भी आवेदन/आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा लिया गया है। कुछ वाहन स्वामियों द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी लिया गया है। लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय-सारणी के वाहन का परिचालन कर रहे हैं, जिसके अन्तर्गत इस प्राधिकार में परमिट एवं समय-सारणी के वाहन का परिचालन कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। वैसे वाहनों के स्वामी इस प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगली बैठक से पूर्व की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ० तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत/आर0टी0ए० सचिव/सभी परमिटधारी)

- (iii) सशर्त परमिट स्वीकृति के मामलों में शर्त का अनुपालन/जुर्माना राशि अदा करना :— सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा जिन आवेदनकर्ताओं का आवेदन सशर्त स्वीकृत किया गया, उनसे अद्यतन मान्य कागजात, अधिभार की राशि, प्रक्रिया शुल्क एवं यदि जुर्माना किया गया हो तो जुर्माना की राशि चालान से 10 दिनों के अन्दर जमा करा कर तदनुसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यदि 15.01.2024 तक वे अपना परमिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को निष्पादित (dispose of) करते हुए उक्त टाइम स्लॉट को किसी अन्य आवेदक के वाहन को नियमानुसार आवंटित कर दिया जाएगा।

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि आवेदन की तिथि से कम से कम अगले 3 (तीन) माह तक वाहन का सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि परमिट को उनके घर भेजने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालन: आर0टी0ए० सचिव/सभी परमिटधारी)

- (iv) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :— परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण—पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण—पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, पूर्व का मूल परमिट (पूर्व से निर्गत परमिट पर आवेदन हो तो) एवं प्रकाशित समय—सारणी तथा ऑनलाईन आवेदित समय—सारणी इत्यादि की जाँच संबंधित सहायक एवं प्रधान सहायक द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात परमिट निर्गत किया जाएगा।

(अनुपालन: आर0टी0ए० सचिव/सहायक/प्रधान सहायक)

- (v) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :— प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इस तरह के मामले पर आयुक्त—सह—अध्यक्ष द्वारा सभी डी0टी0ओ० को जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ० तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

- (vi) आपत्तिकर्ता का दायित्व :- आपत्तिकर्ता द्वारा अपने जिस वाहन से दूसरे वाहन के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर आपत्ति दिया जाता है, उस वाहन का भी सभी मान्य कागजात यथा— टैक्स, दुरुस्ती प्रमाण—पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण—पत्र आदि अद्यतन होना अनिवार्य है, तभी उनके आपत्ति आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि स्वयं के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर आपत्तिकर्ता पर देय जुर्माना के अतिरिक्त 10000=00 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इससे आपत्तिकर्ता आपत्ति से पहले अपने स्वयं के वाहनों के कागजात नियमसंगत है या नहीं, का सत्यापन कर ही आपत्ति देने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र में सभी विवरणी अंकित कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय के ई—मेल rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर करें, ताकि कार्यालय को कार्यावली तैयार करने में सुगमता होगी।

८

७

१

जिन आपत्तिकर्ताओं के वाहन पर कागजात अद्यतन नहीं होने के कारण जुर्माना अधिरोपित किया गया है, वे दस दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि जमा कर कार्यालय को सूचना देंगे अन्यथा भविष्य में उनके आपत्ति या परमिट आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालन: आर0टी0ए० सचिव/सहायक/प्रधान सहायक)

8. नये आवेदन :-

- (i) परमिट हेतु आवश्यक कागजात :- सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि परमिट हेतु निर्णय ऑनलाइन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाएगा परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि न हो एवं कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्राप्ति प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना या ई-मेल rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर भेजना आवश्यक है।
- (a) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्राप्ति प्रति।
 - (b) टैक्स की स्व-अभिप्राप्ति प्रति।
 - (c) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्राप्ति प्रति।
 - (d) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्राप्ति प्रति।
 - (e) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्राप्ति प्रति।
 - (f) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ मोटरयान निरीक्षक से सत्यापन के पश्चात आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैठान क्षमता, ए०सी०/नॉन ए०सी०, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके। कतिपय आवेदकों द्वारा आपत्ति किया गया कि सॉफ्टवेयर में एक ही फोटो अपलोड करने का विकल्प है। उल्लेखनीय है कि चार-पाँच फोटो एक साथ scan कर एक pdf/image file के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
 - (g) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए यह भी उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर है।
 - (h) विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र (अनुलग्नक-१)।
 - (i) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्राप्ति प्रति।
 - (j) मार्ग का वैध नक्शा।
 - (k) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रूपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।
 - (l) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

प्रपत्र

वाहन संख्या-	रुट संख्या-	(..... से तक) वाया-		
पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

- (ii) अपूर्ण आवेदन :-कई आवेदक परमिट हेतु आवेदन करते समय भूल कर देते हैं, जैसे वाहन की संख्या लिखने में, तो कुछ का समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में

8 9 10

लगने वाले समय लिखने में या वाहन के चारों तरफ का फोटो संलग्न करने में, VLTD ऑनलाइन नहीं करने में। ऐसे मामले में प्राधिकार द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया, परन्तु आवेदकों द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया कि पूर्व की भाँति जुर्माना लगाकर एवं भूल सुधार कर परमिट निर्गत किया जाये, भविष्य में त्रुटिपूर्ण आवेदन नहीं देंगे।

आवेदकगणों के अनुरोध पर प्राधिकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि त्रुटिपूर्ण आवेदन में अंकित त्रुटि के सुधार हेतु आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-2) में शपथ-पत्र एवं जुर्माना की राशि जमा किया जाता है एवं त्रुटि संशोधन के पश्चात उनके समय-सारणी का टकराव किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से नहीं होता है तो इस शर्त के साथ परमिट निर्गत किया जाएगा, यह वैकल्पिक है। आवेदक चाहे तो इस विकल्प को नहीं मानकर पुनः नियमानुसार पूर्ण आवेदन दे सकते हैं।

प्राधिकार द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। पिछली बैठकों में अपूर्ण आवेदनों की समस्या पर विस्तार से जानकारी एवं जुर्माना लगाया गया था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण जानबूझकर अधूरा आवेदन देते हैं। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन से समय सारणी की सही जानकारी प्रतिद्वंदी आवेदकों/पूर्व से परमिटधारी को नहीं हो पाने से उचित आपत्ति देने एवं कार्यालय द्वारा भी सही तथ्यों की जानकारी नहीं रहने पर गलती होने की संभावना रहती है। ऐसे त्रुटिपूर्ण आवेदनों को पूर्ण मात्र ऑफलाईन माध्यम से ही कराया जा सकता है। इस प्रकार इसे अच्छी प्रथा नहीं कहा जा सकता है। पुनः कार्यालय को नये सिरे से जाँच-पड़ताल कर परमिट देना पड़ता है, इसलिए जुर्माना लगाये जाने का निर्णय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा लोकहित एवं पारदर्शिता हेतु लिया गया है। यह सिर्फ विकल्प है, यदि आवेदकगण जुर्माना नहीं देना चाहते हैं तो वे पुनः नियमानुसार विहित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध रिक्त Time slot में आवेदन कर सकते हैं। जो जुर्माना जमा करने का विकल्प चुनते हैं, वे जुर्माना की राशि Tax Receipt शीर्ष R0041001010017-00-03 में जमा कराकर कार्यालय में सूचना देने के पश्चात ही त्रुटि सुधार कर नियमानुसार उचित होने पर परमिट निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार कार्यवाही के क्रमांक संख्या 05, 06, 19 आदि पर त्रुटिपूर्ण आवेदन प्राप्त था, जिसमें संशर्त स्वीकृति दी गयी है।

- (iii) जुर्माना लंबित होने पर भी परमिट हेतु आवेदन करने पर अतिरिक्त जुर्माना :- कई आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने वाहन पर जुर्माना की राशि लंबित होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित किया गया है। डिफॉल्टर होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित करना नियमानुकूल नहीं है, समर्पित किया गया है। क्योंकि जो आवेदक/आपत्तिकर्ता स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा है या Defaulter है उसे लाभ/अपना दावा/परमिट प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। ऐसे आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं पर लंबित जुर्माना के अतिरिक्त 10000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने के साथ उनका आवेदन/आपत्ति स्वीकृत किया गया है।

सभी बस मालिकों से अनुरोध है कि आवेदन से पहले एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक से पूर्व अपने गुप के सभी वाहनों पर अधिरोपित जुर्माना जमा कर दें एवं सभी कागजात अद्यतन करा लें।

- (iv) प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :- प्राधिकार द्वारा निदेश दिया गया कि प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन स्वामी या उनके वैध प्रतिनिधि (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आईडी० कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे।
- (v) कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों के कागजात की जाँच कर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी नियमानुसार जुर्माना एवं कार्यवाई करेंगे तथा कृत कार्यवाई की सूचना एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को भी देंगे। अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।

8
9

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित वाहनों की कागजात की जाँच कर सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो।

(vi) कार्यालय में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि कार्यालय से संबंधित कार्य ऑनलाईन या E-mail के माध्यम से आवेदन समर्पित कर करायेंगे। यदि किसी कार्य हेतु कार्यालय में आना पड़े तो काउण्टर संख्या—1 पर आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्यालय कर्मी के कार्य/व्यवहार से असंतुष्ट हो तो आरटी०८० सचिव/आयुक्त के सचिव से इसकी शिकायत कर सकते हैं, परन्तु किसी भी स्थिति में कार्यालय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कार्यालय में हंगामा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(vii) वाहन स्वामी श्री मनोज कुमार यादव द्वारा वाहन संख्या BR30E-8392 एवं BR30E-8279 के स्थायी परमिट हेतु आवेदन समर्पित किया गया है, जिस पर वाहन स्वामी श्री प्रसून कुमार, पियुष ट्रैवल्स द्वारा आपत्ति किया गया कि उनके वाहन संख्या BR06PC-6218 के नवीकरण आवेदन अस्वीकृत हो जाने के कारण उक्त टाईम स्लॉट पर श्री मनोज कुमार यादव द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है। श्री प्रसून कुमार द्वारा नवीकरण आवेदन अस्वीकृति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है, परन्तु इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है। अतएव प्राधिकार द्वारा उक्त टाईम स्लॉट पर परमिट देने हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया।

श्री प्रसून द्वारा यह भी आपत्ति किया गया कि उक्त दोनों वाहन स्कूल बस हैं। प्रथम दृष्ट्या उक्त वाहनों के निबंधन पूस्तिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उनका निबंधन पीला रंग में हुआ है। परन्तु पीला रंग में निबंधित सभी वाहनों का स्कूल बस के रूप में निबंधन मान लेना यूक्ति—संगत प्रतीत नहीं होता है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि वाहन संख्या BR30E-8392 एवं BR30E-8279 के स्कूल बस के रूप में निबंधन की जाँच उसके निबंधन प्राधिकार जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी से करायी जाए।

आवेदक श्री मनोज कुमार यादव द्वारा उक्त दोनों वाहनों का परमिट स्वीकृत किये जाने पर एक सप्ताह के अंदर नयी बस से प्रतिस्थापन करा लिये जाने का आश्वासन दिया गया। पूर्व में आवेदक द्वारा प्राधिकार के आदेश का अनुपालन करते हुए लगभग नौ लाख रुपये जुर्माना की राशि जमा कर सरकार के राजस्व संग्रहण में सहयोग किया गया है। इस कृत्य हेतु प्राधिकार द्वारा श्री यादव, वाहन स्वामी की सराहना भी की गयी थी।

वहीं आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार, पियुष ट्रैवल्स पर लगभग 25 लाख रुपये जुर्माना बकाया होने के कारण प्राधिकार द्वारा उनके वाहन का नवीकरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था। प्राधिकार की बैठक में मौखिक निदेश के बावजूद आपत्तिकर्ता द्वारा कार्यवाही हस्ताक्षरित होने तक कुल 25 लाख जुर्माना जमा करने संबंधी कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है। चूंकि आपत्तिकर्ता स्वयं डिफॉल्टर है, अतएव उनके आपत्ति को अमान्य करते हुए प्राधिकार द्वारा श्री मनोज कुमार यादव के अनुरोध के आलोक में सर्वसम्मति से वाहन संख्या BR30E-8392 एवं BR30E-8279 का आवेदन स्वीकृत करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि श्री यादव कार्यवाही के निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अंदर नया बस (निबंधन संख्या सहित) से प्रतिस्थापन करा लेंगे। साथ ही परमिट आवेदन शुल्क से एक हजार रुपये (निबंधन संख्या सहित) से प्रतिस्थापन करा जाएगा। यह व्यवस्था विशेष अधिक, अर्थात् प्रति वाहन कुल 11000=00 रुपये शुल्क भी उन्हें जमा करना होगा। यह व्यवस्था विशेष परिस्थिति में अपवाद के रूप में सिर्फ एक बार के लिए है; इसे परिपाठी नहीं बनायी जायेगी।

(viii) वाहन स्वामी श्री सुमंथ सौरभ द्वारा वाहन संख्या BR06GF-9896 के स्थायी परमिट हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। आपत्तिकर्ता श्री विकास कुमार एवं श्री अजय ठाकुर द्वारा आपत्ति किया गया कि शीत बसंत के डायरेक्टर—श्री सुमंथ सौरभ एवं उनके परिवार पर लाखों रुपये का बकाया है। आवेदक पर बसों का निबंधन सीटर (साधारण बस) के रूप में कराने एवं स्लॉपर बस (डीलक्स बस) के रूप में परिचालित कराने का आरोप था, जिसकी जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से करायी गयी। जिला परिवहन

6
9

2

पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-6632, दिनांक-28.12.2023 द्वारा नॉन स्लीपर का टैक्स जमा कर स्लीपर के रूप में परिचालित होने वाले 13 वाहनों पर लगभग 13 लाख जुर्माना किया गया है, जिसमें शीत बसत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा० लि० के अन्तर्गत परिचालित वाहनों पर किया गया जुर्माना निम्नवत् हैः—

क्रमांक	वाहन संख्या	वाहन स्वामी	जुर्माना की राशि (रुपये में)
1	BR06PE-2396	शीत बसत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा० लि०	59264=00
2	BR06PE-2596	शीत बसत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा० लि०	86357=00
3	BR06PD-9796	श्री कैलाश मिश्रा	105822=00 + 4000=00 (पूर्व का लंबित)
4	BR06PD-9296	शीत बसत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा० लि०	95226=00
5	BR06PE-2296	शीत बसत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा० लि०	59264=00
6	BR06PD-1796	श्रीमती मिनी देवी	151125=00
7	BR06P-5296	श्री सुमंथ सौरभ	17000=00 (पूर्व का लंबित)
कुल			578058=00

प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शीत बसत के डायरेक्टर—श्री सुमंथ सौरभ यदि अपने एवं अपने परिवार के नाम से निबंधित उपर्युक्त वाहनों पर अधिरोपित जुर्माना जमा कर कार्यालय में साझ्य/रसीद समर्पित करते हैं एवं जुर्माना लंबित रहने के बावजूद आवेदन करने के कारण 10000=00 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करते हैं, तो उनके आवेदन पर विचार किया जायेगा। साथ ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उपर्युक्त जुर्माना जमा करने के पश्चात ही वाहन को नॉन—स्लीपर (साधारण बस) से स्लीपर (डीलक्स बस) में निबंधन की कार्रवाई करेंगे।

(viii) परमिट यात्रियों की सुविधा हेतुः— क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट प्राप्त कर वाहन का परिचालन नहीं किया जाता है एवं टाईम—स्लॉट घेर कर रखा जाता है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी वाहनों का वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी। परमिट से आवृत वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम—स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम—स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सके।

(ix) फर्जी बीमा प्रमाण—पत्र के संबंध में कार्रवाई :- प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण—पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण—पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना आदि की स्थिति में फीडितों को कोई दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा सभी बसों के बीमा प्रमाण—पत्र की जाँच कराने का निर्णय लिया गया। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण—पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(x) अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों की जाँच करना :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि सभी वाहनों के टैक्स, फिटनेश, बीमा, प्रदूषण, परमिट आदि की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करें एवं सभी कागजात अद्यतन कराना सुनिश्चित करें।

अभी हाल ही में मध्यप्रदेश के गुना में बस और ट्रक में भिड़त के कारण 13 यात्रियों की मृत्यु हो गयी एवं 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये। उक्त बस बिना परमिट एवं फिटेनश के परिचालित हो रही थी। बस का टैक्स भी जमा नहीं था। सरकार द्वारा कार्रवाई करते हुए राज्य परिवहन आयुक्त,

8 9/

संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को स्थानान्तरित एवं लापरवाही बंतने वाले जिला परिवहन पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

अतएव प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों के कागजात की जाँच करायेंगे एवं एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकार को प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

May' 01/2024.

वरीय उप समाहिता, राजस्व
मुजफ्फरपुर।

01/01/2024
संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

01/01/2024

आयुक्त—सह—अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक.....01...../

मुजफ्फरपुर, दिनांक 10.01.2024,

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

01/01/2024
संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

सरकारी प्राधिकार, मुजफ्फरपुर शहर

दिनांक—27.12.2023 की कार्यवाही।

समय:—03 बजे अपराह्न से,

स्थान:—आयुक्त कार्यालय, सभागार (हाईब्रिड मोड से)

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को बैठक दिनांक—27.12.2023 की कार्यावली।

कार्यावली सं०-(1)				पृष्ठ सं०	
1	गत बैठक दिनांक 29.11.2023 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन		परिशिष्ट-I	14	14
कार्यावली सं०-(2)	प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।				
(I)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट – (01 से 28 दिन) तक।		परिशिष्ट-II	15	15
(II)	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन) तक।			15	15
(III)	ऑटो रिक्षा / जीप टैक्सी का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)			15	15
(IV)	जनता मालवाहक का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)			15	15
(V)	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (एक वर्षी)।			15	15
(VI)	प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण एवं स्थायी प्रतिस्थापन किये गये परमिटों की सूची।			16	17 तक
(VII)	अध्यक्षीय आदेश के आलोक में बैठक में सापुष्टि की प्रत्याशा में नामंतरित एवं रद्द किये गये परमिटों की सूची।		परिशिष्ट-III	18	18
कार्यावली सं०-(3)	(i) बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार। (ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिरक्षण के आवेदन पत्रों पर विचार।		परिशिष्ट-IV	19	51 तक
			परिशिष्ट-V	52	52

कार्यविली सं0-(1) परिशिष्ट-॥

गत बैठक दिनांक 29.11.2023 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन ।

क्रमांक	कार्यवाही	अनुपालन
1	कार्यवाही (3) बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय ।	अनुपालन किया जा रहा है।

८ ९/ १०

कार्यविली संख्या-2(I-V) परिशिष्ट-II

प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची:-दिनांक 27.11.2023 से 25.12.2023 तक।

1	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (01 से 28 दिन)–अस्थायी (विशेष) परमिट संख्या— BR2023-SPL-7655A तक।
2	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन)– अस्थायी परमिट संख्या – शुन्य।
3	ऑटो रिक्षा / जीप टैक्सी रथायी परमिट (05 वर्ष)– रथायी परमिट संख्या– शुन्य।
4	जनता मालवाहक हल्का वाहन/मध्यम वाहन एवं भासी वाहन का रथायी परमिट (05 वर्ष)– रथायी परमिट संख्या– शुन्य।
5	नेशनल परमिट का रथायी परमिट (01 वर्ष)– रथायी परमिट संख्या– शुन्य।

8 1 2

१६

कार्यालयी संख्या—2 (VI) परिशिष्ट-II					
प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शवित के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गये परमिटों की सूची।					
क्र०सं०	वाहन स्वामी का नाम/पता	वाहन संख्या /निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	नवीकृत परमिट की वैद्यता	अभियुक्ति
1	मे० आनन्द देवलस, प्र०-आनन्द कुमार सिंह, पता—दावर, कोलहुआ, अहिंगापुर, झिला—मुजफ्फरपुर।	BR06PE-8216/ 26-11-2018	BR/106/SC/486/2008	26-10-2028	स्वीकृत।
2	मे० आलोक देवलस, प्र०-आलोक कुमार सिंह, पता—शेखपुर, अंबाड़ाघाट, अहिंगापुर, जिला—मुजफ्फरपुर।	BR06PD-5516/ 13-09-2017	BR/106/SC/578/2008	15-12-2028	स्वीकृत।
3	श्री कैलाश गिश्रा, पिता—रामाकांत गिश्रा, पता—भेड़ियाही झोती, प०-हरिदासपुर, थाना-काँटी, जिला—मुजफ्फरपुर।	BR06PG-9896/ 23-11-2023	0424/2023	01-10-2028	स्वीकृत।

८ १ २

प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन परमिट से आवृत वाहनों के प्रतिस्थापन की सूची।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम/पता	परमिट संख्या	परमिट पर आवृत वाहन संख्या	प्रतिस्थापित वाहन संख्या	अभियुक्ति
1	श्री कैलाश मिश्रा, पिता—रामाकौल मिश्रा, पता—भैड़ियाही रोती, पो०—हरिदासपुर, थाना काँटी, जिला—मुजफ्फरपुर।	0424/2023	BR06PG-9896	BR06PA-4596	स्वीकृत।
2	श्री उदय शंकर प्रसाद रिंह, पिता—स्व० वर्गदेव प्रसाद रिंह, नियर—दुर्गा मंदिर, शेषपुर, मझोली धर्मदास उर्फ नारायणपुर अनन्त, जिला- मुजफ्फरपुर।	0415/2010	BR06PF-9743	BR06PA-1796	स्वीकृत।
3	श्री जटाशंकर सिंह, पिता—हरिनाम सिंह, वार्ड नम्बर—11, भैसालोटन, रामपुरवा, जिला—पश्चिम चम्पारण।	231/2019	BR06PC-4645	BR06P-9841	स्वीकृत।

8
9
10

कार्यावली संख्या—2(VII) परिशिष्ट—III

परमिट नामांतरित किये गये परमिटों की सूची:-

क्रमांक सं.	परमिटधारी का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	अभ्युक्ति
1		नामांतरित किये गये परमिट की संख्या—शुन्य।		

अध्यक्षीय आदेश के आलोक में रद्द किये गये परमिटों की सूची—

क्रमांक सं.	परमिटधारी का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	अभ्युक्ति
1		रद्द किये गये परमिट की संख्या—शुन्य।		

8 11 10

कार्यालयी संख्या-३(i) - परिणाम-IV

क्रम संख्या	आहन स्थानी का नाम एवं पुस्ता घटा	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मासिक	मार्ग एवं अमय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभुक्ति	कार्यालय अभ्युक्त काले वाहन का विवरण	निर्णय	
1	श्रीमती. वीजा देवी, पति- स्व० विजय सिंह, पता-हरदियावाद, जिला, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आ० ०५ टी० ए-६१३६	०४.०४.२०१६ पॉल-२०१५	मार्ग संख्या- ३६२७ सोगिहारी से बैरानिरु. याया-दाफा। प्रतिदिन होने वेष्या जाना आना प्रतिदिन स०-०४.१०, १०.०२. १५.१८ वेगनिया ५०-०८.६१, ११.५७, १८.५४	टैक्स- १९.०३.२०२४ फिटोग २८.०६.२०२४ इच्युरेस-०८.०२.२०२४ प्रदुषण- २५.०६.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अपार है।			सॉप्टवेयर में बी० एल० टी० ऊ० अब प्रदर्शित हो रहा है।		स्वीकृत।
2	श्री जितेन्द्र कुमार, गिरा-स्व० सानालाल प्रराद, पता-कार्इरिया ठोला, मेन रोड, राना दाकिया, रवरील, जिला- पूर्वी चम्पारण।	बी०आ० ०६पी० एफ. ३५३६	०५.०५.२०२२ मॉडल २०२२	मार्ग संख्या ४७८३ रवसीला से मोतोहारी। भाय-चमगढ़ा, झुंडी, छप्पा। प्रतिदिन पौंच खेप जाना आना १३५११ ५०-०४.३४, ०८.४९, १०.४७, १४.३०, १८.३५ मोतिहारी ५०-०६.३४, ०८.२२, १३.०२, १७.०८, १९.५६	टैक्स- १९.०५.२०२४ फिटोग-०४.०५.२०२४ इच्युरेस-०१.०५.२०२४ प्रदुषण- ११.०५.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेशर है। आपत्ति अपार है।					स्वीकृत।
3	श्री मदन मोहन शर्मा, गिरा- स्व० भुवनेश्वर शर्मा, पता-लन्दी सैदपुर,	बी०आ० ०७पी० सी. २५६१	०८.०७.२०१४ मॉडल २०१४	बी० ए० ए०-४३२१ - सोतोगढ़ी रो पट्टा। याया-डुगरा, लगा, प्रेमनगर दाकिया, लग्नीरी-पुर चन्द्रकालाला, फिरा घाट, स्पता, चुरुपालखुर बै१३।	टैक्स- २९.१२.२०२३ फिटोग-०९.०७.२०२४ इच्युरेस-२५.०८.२०२४ प्रदुषण- २४.०८.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेशर है। आपत्ति अपार है।					स्वीकृत।

५१ १

क्रम संख्या	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा रक्षा	वाइन संख्या	निवेदन की सिधि एवं मॉडल	सार्वजनिक समय सारणी	वैधता	आपेक्षित	आपेक्षित के बाहर का विवरण	अनुमति	कार्यकालीय अधिकृत साले वाहन का विवरण	निर्णय	
4	श्री गदन मोहन। शर्मा, पिता-स्व० गुबनेश्वर शर्मा, पता-लन्नी सैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।	वी०आर० ३०पी.ए. -४३६१	०७.०८.२०१८ गोड्ड-२०१८	मार्ग राज्या-३८० - सीमा से मुख्यमान्दूर। गाया-वसंतपुर, पुर्णिया, लुमा, धनकोटा, परसीनी, खेलसंड, रामेश्वरपुर, जनार, कोनाई, झापहौ, चू जिलामाइल। प्रतिवेदन दो खेत जाना आना। रीगा प्र०-०५.२५, १३.०५ पुर्णपुर प्र०-०९.५६, १०.३४	टैक्स- ०५.०२.२०२४ फिल्टर- ०३.०८.२०२४ इन्यूरेंस- २०.०७.२०२४ प्रदुषण- ०१.०२.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से अद्वृत है। आपेक्षित आप्राप्त है।			सॉफ्टवेयर से वी० एल० थी० ढी० अब प्रदर्शित हो रहा है।		स्वीकृत।
5	श्री जितेश कुमार तिवारी, पिता-बालेश्वर तिवारी, पता-रघुनाथपुर वार्ड नं० ०८, भितिहारी, जिला-सूर्यो चम्पारण।	वी०आर० २२ पी. ५. --५७४५	१९.०७.२०२३ मॉडल-२०२३	मार्ग लख्या-३४१४ - दगहा रटेहरू तो घेतिया। गाथा-वगहा जाजार, बौद्धधा, परसीनी, लौरिया। प्रतिवेदन दो खेत जाना आना। वाहन स्टेशन प्रा ०६.५१ १२.४५, १८.१४ घेतिया प्र०-०८.३१, १५.३५, २०.४२	टैक्स- २८.०२.२०२४ फिल्टर- १८.०७.२०२६ इन्यूरेंस- १७.०७.२०२४ प्रदुषण- १०.०७.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से अद्वृत है। आपेक्षित आप्राप्त है।			नक्शा एवं समय सारणी में अकिञ्चित दूसरी मिन्न है।		विशा। एवं समध-सारणी में अकिञ्चित दूसरी मिन्न होने के कारण ५००० रुपये जुर्गना के साथ रक्तिकृत।

८/१ २



क्र० सं०	वाहन स्थानी का नाम एवं पुराना	वाहन संख्या	मिक्सिंग की तिथि एवं माडल	मार्ग एवं संस्थानी	दैनिकता	अधिकारी	आयतिकर्ता का वाहन का विवरण	अपूर्णता अभ्युक्त वर्ते वाहन का विवरण	नियंत्रण	
6	श्री नंदेन्द्र फिशोर सिंह, पिता—हरेन्द्र फिशोर सिंह, पता—सालिलीपुरीनगर वार्ड नं० 03, जिला—प० चम्पारण,	भीमधारा० ०६ पी. ए—५५४६	०५.०५.२०१० ५०३८—२००७	नगर संख्या- ३८१४ — बगहा स्टेशन रो. बोरेख। माया काढा ब-जार, बैदरव, परसर्वी, लौरिय। प्रतिदिन तीन बोग जाना आना। बाजा रेशन ५०-३७.१। १.१६, १५.०७ त्रितीया ४८-०८.५०, १३.०४ ०५.४६	ट्रैक्स— ०२.०२.२०२४ पिटनेश—२६.१०.२०२४ इन्युरेंस—२५.१०.२०२४ प्रदुषण— १४.०१.२०२४	उपर वर्त के अनुसार वाहन परिमेत ऐसा है। १-आयतिकर्ता—श्री सुमाप चंद तिवारी, वा. लहना है कि वाहन संख्या वी लार ८६ पी.ए. —५५४६ का रजिस्ट्रेशन ३ भवे २०१० पो. हुआ इस अनुसार वाहन १३ वर्ष ७ माह ला हो गय है, और अवैदेंस द्वारा ५५४६ अपने पकाशाल में बगहा स्टेशन से योतीग के एकल द्वारे ७३ फिलोमिटर तथा कुल हुआ ७३५६=४३४ किलोमीटर रिकार्ड गया है, जबकि दस वर्षे ले वाहन के ताहत ला रिए १०० फिलोमिटर का परिकरन का आदेश है जो कि प्रत्येक प्राथिकार के डैडक के कार्बोलही ने अ.पु.वा. एड.प्राथिकार का निदेश दिया रहता है और ताहत— खायी द्वारा श्रीगान ले निदेश को गती माना गया है, प्राथिकार के कार्बोलही ने निरेः दिया जाता है कि द्वारी ले सही सही हिता जार करायें आदेश का आदेशन रद्द कर दिया जाएगा।	वी लार ०६ पी.ए. —५५४६ ट्रैक्स— ०२.०२.२०२४ पिटनेश—२६.१०.२०२४ इन्युरेंस—२५.१०.२०२४ प्रदुषण— १४.०१.२०२४	सांफटवेयर में साथे संख्या-३८१४— बगहा स्टेशन से बेतिया के बीच की दूरी ०२ किमी है। आवेदित दूरी—६२x२x३=३७२ किमी। अनुमान्य दूरी—४०० किमी।	साथे एवं साथे—कारणी में अंकित दूरी पिला होने के कारण ५००० रुपये छुनीना के साथ स्वीकृत।	
7	श्री मनोज शर्मा, पिता—रमाशोष शर्मा, पता—नवलपुर। जिला—प० चम्पारण।	भीमारा० ०६ पी. ५००२	०१.०५.२००६ ५०३८—२००५	साथे संख्या-४८१७ — मुजौना रो. बगहा स्टेशन। माया—तुम्हेथाल, नवलपुर, हथदरिया, रोदल, रजरतिया, खर्ची। प्रतिदिन दो बोग जाना आना। मुजौना त्र० ०९.१०, १४.०० बगहा स्टेशन त्र० ११.००, १६.३०।	ट्रैक्स— २९.०२.२०२४ पिटनेश—१६.०३.२०२४ इन्युरेंस—२०.०१.२०२४ प्रदुषण— ३१.१२.२०२३	शब्द पत्र के अनुसार वाहन परिमेत रो. ५५०८ है। अधिक अप्राप्त है। आधिकारी का वाहन है कि मुजौना से बगहा स्टेशन की दूरी २५ किमी है।		वाहन १५ वर्ष पुरानी है। अनुमान्य दूरी १०० किमी है। आर्ग संख्या-४८०७ — मुजौना से बगहा स्टेशन के बीच की दूरी ५६ किमी है। एक ट्रैप की दूरी ५६x२=११२ किमी।		अस्वीकृत।

8 1 2

क्रमांक संख्या	आदान स्वामी का नाम एवं पुरा पठान	वाहन संख्या	प्रेषण को तिथि एवं माडल	सर्वे एवं समय सारणी	कैथगा	अधिकारी	आपरिकर्ता के वाहन का विवरण	अधिकारी वाहन का विवरण	कार्यालय अभ्युक्ति वाहन वाहन का विवरण	निर्णय	
8	श्री दक्ष प्रकाश पाण्डेय, पिता—अजय कुनार पाण्डेय, कता—श्यामपुर, आदान—जिला— पूर्वी चम्पारण।	वी0आर ०६ पी.ई. —3588	१८.०७.२०१९ मॉडल २०१९	नार्ग संख्या—२६६१ रखील से गोतिलारी। नाम—आदानपुर, नरपटिया बाजार, लखीसा। प्रतिदिन घे: खेप जाना जाना। रखील प्र०—०४.३४, ०८.५७, १०.३०, १३.१५, १८.५१, १७.५९ गोतिलारी ३०—०६.४१, ०७.३७, १२.८५, १४.३१, १८.५३, १९.०९	टेक्स - १०.०१.२०२४ प्र०टेश—१८.०७.२०२५ इन्युरें—१०.१०.२०२४ प्रदुषण—२९.३६.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन एवंगत से आवृत है। आवाहि अप्राप्त है।					स्वीकृत।
9	श्री अजय पाण्डेय, पिता—त्रिलोकी पाण्डेय, पता—श्यामपुर, आदान—जिला— पूर्वी चम्पारण।	वी०आर ०६ पी. —3166	०८.०५.२००७ मॉडल—२००७	नार्ग संख्या—२६६१ रखील से गोतिलारी। नाम—आदानपुर, नरपटिया बाजार, लखीसा। प्रतिदिन ५५४ खेप जाना जाना। रखील प्र०—०८.३७ गोतिलारी प्र०—१२.५८	टेक्स - ०७.०२.२०२४ प्र०टेश—०५.०५.२०२४ इन्युरें—१८.०६.२०२४ प्रदुषण—०६.०६.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन एवंगत है। आवाहि अप्राप्त है।					अरवीकृत।
10	श्री केपार सिंह, पिता—जोगेन्द्र सिंह, पता—रोहेपुर,	वी०आर ०८ पी. रो.—०४३६	२८.११.२०१३ मॉडल २०१३	नार्ग संख्या—४७८६ — सुमिया से पुण्यमन्तर्गत, नाम— रिपिहर, रियारी, नीलपुर। प्रतिदिन ०१० खेप जाना जाना। सुग्रीव ४०—०४.३०, ०९.२८, १४.५० नुजफारपुर प्र०—०६.५२, १३.००, १७.५७	टेक्स - २६.०२.२०२४ प्र०टेश—२०.०४.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन एवंगत से आवृत है। आवाहि अप्राप्त है।					स्वीकृत।

8 9 10

क्र. सं.	आहन स्वास्थ्य का लाभ इच्छुक पुस्तक	आहन संख्या	मिशन की लिखित एवं मोडल	मार्गी एवं समय सारणी	दैथता	आधिकारि	आपत्तिकारी के दाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अधिकारी द्वारा आहन का विवरण	निर्णय
10	जय नां सोगा, पो०-विजय कुमार सिंह, पिता-131, नियर किसान गावन, वार्ड नं 05, छत्तौनी, जिला-विधार।	वी०आर० ०६ पी. एक -७१५४	27.06.2023 मौका-2023	मार्गी सारणी-2407 (पेपराई) से चैरिया बर ८४७४: दाया-शिवहर, कुशाहर, तरीया-नी, भीनामुर, जोरायाईल; प्रतिविट्ठ घर खेप जला आना। प्रिपराई प्र०-०३.०५, ०६.५२, १०.३०, १४.४७ वीरिया बस स्टैण्ड ३०- ०५.१६, ०८.३८, ११.५१, १७.२३	टॉन- 25.12.2023 फिटनेश- 28.08.2025 इच्छुक- 25.08.2024 प्रदूषण- 26.08.2024	शपथ पत्र के अनुसार दाहन परमिट से आवृत है। 1-शापत्तिकर्ता-श्री कौशल किशोर शिंह का लल्ला है कि प्रानिकार की बैठक दिनांक 29. 11.2023 के बार्याली संख्या ३(1) परिवेष्ट IV के क्रमांक-23 पर ऐसा आवेदन जोवा में जबित है। — यह है कि आवेदक हाथा ऐसे जौध आवेदन के 2 मिनट आगे का ग्रस्ताव दिये हैं। — यह कि मेरा घूर्वे से लंबित आवंदन का प्रथम दैप नुज़फरमुर बैरिया बस स्टैण्ड प्रस्थान ०४.५० मूँहन है। — यह आवेदन घानड़कर बैरिया बर स्टैण्ड प्रस्थान ०४.५० पूर्वान दिये हैं जो गेरे लिए शलाभकारी है। — अप्रैलमात्र से जारीगा है कि मेरे आवेदन गर सदानु-त्पुर्वक बैरिया बस स्टैण्ड लेने के कृपा की जाए।	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से निलान करने गर घान दाया वी.आर ०६ पी.एफ. -३४३८, परमिट संख्या वी.आर. 2022-एस०१० २३८०८०, तिथा-०९.११.२०२७ का दिनाही से समय १०:३१ है। समय अंतराल १ मिनट है, जबकि ६ मिनट होना चाहिए।	वी.आर. ०६ पी.एफ. ३४३८ ०९.११-२०.०३.२०२४ फिटनेश-१५.०४.२०२४ इच्छुक-०५.०५.२०२४ प्रदूषण-२२.०५.२०२४		
11										तृतीय द्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।

8

म

२

ब्रॉड संख्या	दाहन रक्तसी का वाहन एवं दुर्घटना	वाहन संख्या	निवेश की तिथि एवं मोडल	मार्ग एवं सभाय सारणी	दैनिक	आवधि	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	आर्थिक अभ्युक्ति वाले दाहन का विवरण	मिश्य	
12	श्री मनोज कुमार धावन, पिता-स्व. 0 वन्देश्वर राय, पता-बी. नी. बंजा, गगाचान्तुर, थाना-रादर, जिला-गुजराटपुर।	वी0आर 30ई- -8382	11.05.2012 पिंडल-2012	गांग संख्या 3755 ८५००० से मुख्यमाला-मुख्यमाला- महानगरपाली-लालीसेप्टर, जनार, कोरलाडिया, ८-पहों, झानपुर, स्थवाजाहुर, गुजरातमध्ये। प्रतिविंग तीन खंग जाना जाना। गुप्त ग्र-07-34, 1200, 16:41, मुजफ्फरपुर ग्र-09-17, 14:20, 19:00,	टेलर- 15.02.2024 पिंडल-12.06.2024 इन्स्यूरेस-03.12.2024 प्रदर्शन 02.12.2024	लैंगर- 18.03.2024 पिंडल-29.06.2025 इन्स्यूरेस-21.03.2024 प्रदर्शन- 25.07.2024	बी0आर 06 गीरी -6218 टेलर- 18.03.2024 पिंडल-29.06.2025 इन्स्यूरेस-17.11.2022 प्रदर्शन- 15.03.2024	1. आपत्तिकर्ता के वाहन नंख्या बी0आर 06 गीरी-6218 का परमिट -6218 टेलर- 18.03.2024 पिंडल-29.06.2025 इन्स्यूरेस-21.03.2024 प्रदर्शन- 25.07.2024 2. आपत्तिकर्ता के वाहन संख्या बी0आर 06 गीरी-6218 पर 10000 रुपया जुर्माना लंडित है। 3. आवेदक का कहना है कि आवेदित धान का निषंधन स्कूल वाहन के रूप में नहीं है।	बी0आर 06 गीरी- -6218 टेलर- 18.03.2024 पिंडल- 15.03.2024 इन्स्यूरेस- 17.11.2022 प्रदर्शन- 15.03.2024	आवेदित वाहन के रक्तपूर्ण बस के रूप में निर्धारित होने के संबंध में जिला परिवहन नियमिकारी, सीतागढ़ी रो जीव करपै। वाहन स्थापी के अनुरोध पर एक सप्ताह के अंदर नये उच्चारण वाहन संख्या स्कूल वाहन के रूप में प्रतिरक्षापन एवं परमिट शुल्क से 1000=०० रुपये अधिक अर्थात् 11000 रुपये प्रति वाहन शुल्क जगा करने के शर्त पर स्वीकृत।

8 1 2

क्रम संख्या	वाहन संख्या की नम्रता एवं गुणवत्ता	वाहन संख्या	निवधन की तिथि एवं मॉडल	सार्वजनिक समय लाइसेंसी	वैधता	आवश्यक	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	कार्यकारी अभ्युक्त वाहन का विवरण	निर्देश
13	श्री एनोज कुमार गाँव, पिटा-रसो चन्द्रशिखर राय, पता— भगवानपुर, झाला-ज़वार, जिला—मुजफ्फरपुर।	बीआर ३०६१- ८२७९	११.०६.२०२२ वैधता—२०१२	नार्ग संख्या ४५० निमोड थे पटना। भाया-तूरमंड, बाडा, रेखालपुर, पुरी। सर्वजनिक संस्कृत, ज्ञान, वैदिक, कल्पनीकृत, ज्ञान, वैदिक, साहित्य, भूतीरणहास्त, मुण्डपकृत, भगवानपुर, राया, झाला-ज़वार, भालीपुर। प्रतिदिन एक खेत याना लाना। मिहानी ग्र०-०४५३, पटना ग्र०-१२८९।	ट्रेक्स- फिटनेश-१२.०६.२०२४ इन्हुरेंस-०३.१२.२०२४ प्रदूषण- ०२.१२.२०२४	शास्त्रीय पत्र के अनुसार वाहन स्वेच्छा है। १—शापतिकर्ता—श्री प्रसुत कुमार। १. वाहन शुल्क दर है वाहने विवरण पुराना एवं नवीन दोनों संज्ञा है, इवायोकर्ण किये जाय। २. मिनिस्टरी ऑफ शिर्टिंग चेल द्वारा नामों द्वारा दिया गया २००६ ग्रंथांशेत रक्षित वरा। रेकॉर्डवारमेन्ट के लैलम न० ३.१.१ ने अकित है कि ALL School buses must have External colour of Golden/yellow है। ३. चुरीनकोट क निर्णय जो १९९७ (६) Sec प्र०५८ ७७० राजा रीप गोदा, बना। युनियन ऑफ इनांडें एवं अन्य है, के अनुसार CAG एवं अन्य प्रत्या साखाएँ ज्ञान लारी दिशा निवेश के अनुसार स्कूल बस का रंग गीला है। ४. वाहन विवरणी में एक रूप थे वाहन का रंग गीला अकित है। आवेदक के आवेदन को एवं लिया गया वर्णीय वाहन स्कूल बस है, एवं आवेदक को वर्णित किया जाय।	१. कार्यालय आमेलेज द्वे जिलान करने पर वाहन संख्या बीआर ०९८०१ ई-५२६८, परमिट रखाया २६६/२०१९ थैजूता—०६.०९.२०२४ का भिट्टामोड में साम्य ०५५४ वजे है। सम्य अंतराल ०१ मिनट है, जबकि ०५ मिनट होना चाहिए। नार्ग संख्या ३७५३ है। भार्ग संख्या अलग— अलग है। २. आवेदक का कहना है कि वाहन संख्या बीआर ०९८०१- ५२६८ का परिचालन अभी नहीं होता है। ३. आवेदक का कहना है कि आवेदित वाहन घर निवास स्कूल बस के रूप में नहीं है।	बीआर ०६ मीडी ५२६८ ठेकर— ११.०३.२०२४ फिटनेश- १४.१२.२०२४ इन्हुरेंस- १७.०१.२०२४ प्रदूषण- ०३.०८.२०२४	आवेदित वाहन को स्कूल वस के रूप में निर्धारित होने के साथ गैंग जिला परिवहन प्रबंधिकारी, रीताम्बरी से जीवन करते। वाहन संख्या के अनुसार पर एक साताह के अंदर नवीन उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन एवं परमिट शुल्क से १०००-०५ रुपये अधिक अर्थात् ११०० रुपये प्रति वाहन शुल्क जमा करने के दर्द पर स्वीकृत। वाहन संख्या बीआर-०९८०१- ५२६८ के परिचालन के साथ गैंग जिला परिवहन प्रबंधिकारी से जीवन कराये। ठोल ल्लाजा एवं बीरुली-५२६८ रिपोर्ट भारी कर परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में एसमेंट रद्द करने की कार्रवाई करें।
14	श्री शिवदयारा पिटा—झारीलाल राय, पता—महुआ राम राय, महुआ जिला— झालां।	बीआर ६८०१- ८३५०	१४.१०.२०१४ वैधता—२०१४	सार्वजनिक संख्या ४१३ ज़ारन झालांपुर से मुजफ्फरपुर, झाला—महुआ, प्रतिदिन तीन लेप जान आगा। ह.जी.पुर प्र०-०६०६, ०८४०, १४३०, मुजफ्फरपुर, ग्र० ०६४५, १०२८, १६२८,	ट्रेक्स- फिटनेश-०४.०१.२०२४ इन्हुरेंस-०८.११.२०२४ प्रदूषण- २५.१०.२०२४	सर्वजनिक संख्या ४१३ ज़ारन संस्कृत से आहट है।			स्वीकृत।

क्रम संख्या	वाहन संख्या	निवड़न की दिनांक एवं मोडल	आर्थि संख्या सारणी	त्रैधन	आपत्ति	आपत्ति के वाहन का विवरण	अधिकारी का वाहन वाहन का विवरण	विवरण	
15	श्री मनोज कुमार राय, पिता—श्री शिल्पयाल राय, पता—महुआ, राज राय, महुआ, जिला—देशबाली,	बी0आर 31पी -5778	15.01.2013 मॉडल-2013	मार्ट संख्या-2003- पटोरी से गुनाप-कुरुर याता- जन्मदा, महुआ, मरीच। प्रतिदिन दोन खेप जाना आना पटोरी प्र०-08:45, 11:25, 15:05, गुजरापरुर प्र०-08:58, 12:55, 17:35,	ट्रैक्टर— 14.01.2024 फिटनेश- 19.01.2024 इन्सुरेस- 08.02.2024 प्रदूषण- 20.01.2024	आपत्ति पत्र के अनुसार वाहन परमीट से आडत है। आपत्ति अप्राप्त है।	आपत्ति-1 कार्बोलाय अग्निलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर.06पी.एफ. -8649, परमिट संख्या बी.आर. 2023-एस0भी०-3162ए०, वेगता-03.11.2028 का पटोरी में समय 15:05 है। समय समान है।	बीआर 06 पीएफ -8649 ट्रैक्टर- 10.12.2023 फिटनेश- 18.09.2023 इन्सुरेस- 15.09.2024 प्रदूषण - 18.09.2024	तृतीय ट्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।
16	श्री चनोज कुमार राय, पिता-श्री शिल्पयाल राय, पता—महुआ, राग राय, महुआ, जिला-देशबाली,	बी0आर 30पीए 4210	30.04.2020 नैवेज-2018	मार्ट संख्या 2603- पटोरी से गुजरापरुर याता- जन्मदा, महुआ, मरीच। प्रतिदिन चार खेप जाना आना पटोरी प्र०-05:30, 08:38, 12:20, 14:59, गुजरापरुर प्र०-07:23, 11:04, 13:46, 17:39,	ट्रैक्टर— 08.01.2024 फिटनेश- 28.04.2024 इन्सुरेस- 16.04.2024 प्रदूषण- 22.09.2024	शपथ गत्र के अनुसार वाहन परमीट से आडत है। आपत्ति अप्राप्त है।	आपत्ति-1 कार्गालय अग्निलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या बी.आर.06पी.एफ. -8649, परमिट संख्या बी.आर. 2023-एस0भी०-3162ए०, वेगता-03.11.2028 का पटोरी में समय 08:38 है। समय समान है। सॉफ्टवेवर गें बी.एल.टी.डी अव प्रदर्शित हो रहा है।	बीआर 06 पीएफ -8649 ट्रैक्टर- 10.12.2023 फिटनेश- 18.09.2023 इन्सुरेस- 15.09.2024 प्रदूषण - 18.09.2024	द्वितीय ट्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।
17	श्री अशोक कुमार यादव, पिता—श्री जय कुमार	बी0आर.06 पी एफ - 8012	30.09.2023 वै-ए-2023	पारि रोडो-4865, चिकनौला पी. ८०८०। याता-पालेपुर, बरडीडा, कुशातर, महुआ, जाना आना। गिकनौला प्र०- 06:58, 14:10, पटना, प्र०- 11:08, 17:03,	ट्रैक्टर— 24.03.2024 फिटनेश- 29.09.2025 इन्सुरेस- 28.09.2024 प्रदूषण- 28.09.2024	आपत्ति पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति अप्राप्त है।			स्वीकृत।

४ ३ १



क्र. सं.	वाहन स्थानीय क्रा. नाम एवं युक्ति पट्टी	वाहन संख्या	निवेदन क्रमे तिथि एवं मार्फत	भागी स्वतं समय सारणी	दैधरता	आपत्ति	आपत्तिकारी के वाहन का विवरण	असुरक्षित कार्यालय अभ्युक्ति दर्ती वाहन का विवरण	निर्णय
18	श्रीत बसल द्वारा कोपे प्राइवेट [सेमिटेल] डॉयरेक्टर सुनेंथ सौरक्षा पता-शील बसेत फ्लूल अधिक, कॉटी, कसमा, थाना-कॉटी, जिला-मुजफ्फराबाद।	बी0खार.06 जी एफ -0896	28.09.2023 मॉडल-2023	मन स्थान-4752, नेतिला ने पटगां भावा डपच, नेतिला, प्रिपराम्पेटी, कल्पागढ़, श्रीमती वाजान, राहवानी, नेतिला, मडना वाजान, कॉटी, पहाड़पुर, छुजापहारु, रामरामान नमद, फक्कुरी, जाम्पलीवाट, लालाज, रुदी, ह.पीपुर, प्रदेशीन ८०-१०५ जामा जाना। वेत्तिया ग्र- ०३३७, घटना ग्र ११०६,	टैक्स- 27.03.2024 फिलोग्र- २७.०९.२०२६ इन्फ्रैम- २०.०९.२०२१ प्रदुषण- २७.०३.२०२४	स्वप्न पत्र के अनुसार बहन सहर है। आपत्ति उपात्त है। संज्ञेष्ट पर उपर्युक्त दो रास्ते 1. आपत्तिकारी श्री शिवाल कुमार वास्तव रामवीर कुमार हावा अपत्ति दिया गया है कि एहु को देढ़क दिनांक 16.01.2014 की कार्रवाई में इन्हे घड़न पर दर बकाया ये करण आवेदन स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 10.12.2014 ली वेत्ति की वायरिली में न्यू.पा. शौका एवं कार्यालय के वर्षारोडे के नेते शे रामरामान (होपर्से) कार्यालय गया था। सुनेंथ सीरक के प्रिवेक्टर द्वारा न्यू.पा. से हे आपत्तिकारी की इकन चांडी अज तक जमा नहीं की गयी है। 2. आपत्तिकारी श्री अजवे टाकर का बहना है कि शील बसेत के डॉयरेक्टर सुनेंथ सौरक्षा एवं जलके परियार पर लाखा लपचे का ज्ञानन् बकाया है।	आवेदक पर दस्तों का निवेदन रीटर में कराकर स्टीपर के रूप में परिचालित करने का आरोप है। आवेदक द्वे वैनर तत्त्वे परिचालित दस्तों की जाँच कर पिला परिवहन मवाधिकारी द्वारा कुल 578058=00 रुपये जुर्माना किया गया है।	आवेदक के बैनर ताले परिचालित वाहनों पर अधिरोपिता जुर्माना कुल 578058=00 रुपये जमा करने तथा जुर्माना लिंगित रहने पर भी अवेदन देने के कारण 10000-00 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने के परवाने विचार किया जाएगा।	
19	अरकारी बेगम, पति-मोटिलाल शहमा-१, पता- दार्ड न०-०४ कठमलिया, शिकारगांज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी0आर.06 पी ए-0688	07.12.2003 मॉडल-2003	मन स्थान- 4855, वैवहर ने वैरीनिया, भावा-पिपलहो, जिलुली, पठपकड़ी, डाका, ग्रामीन तीन लाप जाना ज्ञाना प्रिवेक्टर ग्र- ०४२२, ०६२७, ०४०७, देशपिलिया, ग्र-0652, ११५२, १७३४,	टैक्स- 24.02.2024 फिलोग्र- २४.०९.२०२४ इन्फ्रैम- २७.०६.२०२१ प्रदुषण- १०.०६.२०२४	शास्त्र पत्र के अनुसार बहन स्पष्ट है। आपत्ति अपापा है। .. ऐपेक्षा पर आपत्ति के रास्ते आपत्तिकारी शिवांशु कुमार एवं अपिधेय कुमार हावा अवेदन वाहन के स्फुरण बस के रास्ते में परिचालित होने का शारेप लगाया गया है।	आवेदक का कहना है कि स्फुरण प्रबंधन के आग्रह पर दो दिनों के लिए ४५०८ बस में चलाया गया था।	भविष्य में दुश्वारा गलती नहीं करने के शर्त पर 10000 रुपये जुर्माना के साथ स्वीकृत।	

6 M 1

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निवधन की तिथि एवं मोडल	लागी एवं समय सारणी	दैधता	आपति	आपतिकर्ता के वाहन का विवरण	वाचांस्य अभ्युक्त वाले वाहन का विवरण	निर्णय	
20	श्रीमति शास्त्री प्रियदर्शिनी, पति प्रकाश चंद्र शिवारी, पा.- वर्ड नो. 05, दिवी कला चेस्ट, नई ग़ल्क रोड, हाजीपुर छिला- बैशाली, गुजरात-844101, वर्तमान जला वार्ड नो-25, लस्त विहार लॉलोनी, एरियालिका छोक, बेतिया, पट अन्धारप, विहार 545438,	गोपाल ०६ पी.ए. -7781	१५.०२.२०२० मोडल-२०१९	मर्जी संख्या-३१४ नं। रसेन से लेती, माता-हाता बैजाल, चौतरवा, परसोनी, लीरिया। प्रतिदिन बार खेल जाना आन। बगह, स्टेशन प्लॉ ०८४५, ०७३९, १३५५, १८३४, बेतिया प्लॉ ०५१०, ११३३, १६१२, २०१६,	टेक्स्ट- २९.०१.२०२४ फिटनेश-१७.०२.२०२४ इन्सेस-१३.०७.२०२४ प्रदूषण- ३१.०५.२०२४	समय पत के अनुसार वाहन नर्मिट से लायक है अपाति अप्राप्त है। एवेंडा पर आपति के समय आपतिकर्ता श्री विनेशर लिए हाथ आपति "देट" दिया है। लेकिन आपेक का वाहन शिवदारी के दैनर राते घरती है जिलका वाहन संख्या श्री.आर.०५८१४-५६२५, पर्मिट संख्या-२४/१५ की बगह स्टेन्स प्लॉ-१३५६ एवं बेतिया प्लॉ-१८११ है। जबकि आपेक पर नं.हा. स्टेशन प्लॉ-१४५६ एवं बेतिया प्लॉ-१८१० है। इस तरह दोनों ही बिल्ड पर सामग्र अंचराल + मिलट है।		वाहन संख्या वी.आर.०५८१४-५६२५, पर्मिट संख्या-२४/१५ सरेखर कर दिया गया।		स्वीकृत।
21	श्री अंजनेन्द्र शिवारी, पिता-रवी विश्वनाथ शिवारी, पता-अन्सराज, गिर्ला, पूर्वी चम्पारण।	श्री.आर ०६ पी.ए -1941	०३.०४.२०१० मोडल-२०१०	गाँग रसेना-४७२४, अरेसां से मोहिराणी, १५५५ मटियरिया, गाँगचाल, दुफक्कीलेण, अरिंदिन राते खेप जला- आन। अरेसन ५०-०५४७, ०८३९, ११३४, १३३४, २५१७, १८४४, २०२६, मोहिराणी प्र०-०७५६, ०९५६, १२०६, १५१४, १८११, १९५०,	टेक्स्ट- ०२.०१.२०२४ फिटनेश-०४.०५.२०२४ इन्सेस-०७.०६.२०२४ प्रदूषण- ०५.०६.२०२४	शास्त्र दत्र के अनुसार वाहन पर्सीट रो आनुत है। आपति दप्रप्ता है।		वाहन १० वर्ष पुरानी है। अनुसार्य दुरी ४०० किमी मी० है। आवेदित दुरी- $31 \times 2 \times 7 = 434$ किमी गो० है।		सप्तम् द्वीप कटाव के साथ स्वीकृत।
				23:01,						

८ १ २

क्रमांक संख्या	शाहन स्वामी के नवीन स्थान एवं पुरुष पता	वाहन संख्या	दिव्यधन की लिखि एवं मॉडल	सार्व एवं अधिक स्वामी	वेतन	अधिकारी	आपत्तिलाली के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय वाहन का विसरण	निपट
22	श्री गणेश कुमार, पिता—गोहन प्रसाद, पता—ज्ञानीपुर जिला, पो-०५—मोरिहारी, थाना—छतांनी, जिला—पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.०६०३०१.ए. -६१०८	०७.०६.२०११ नंबर-२०११	मार्ग नंबर-३५२७, बेतिहारी से हैरिटेज, माया डाका। प्रतिदिन दार लेप जान—आना। मोतिहारी प्र-०३२५, ८५२४, १२५४, १९४२ श्रीगणेश प्र-०३४५, ०९२४, १५२५, २०५५	३५१— ०६.०३.२०२४ फिटो-३५.०५.०९.२०२४ इन्यूरेस-०१.०५.२०२४ प्रदूषण- २१.०८.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। १—आपत्तिकर्ता श्री अभिलेख कुमार, परमिट संख्या— अनुरा वाहन संख्या नो.आ०५०३०१.ए०५—७०३४ वैदेता-२७.०१.२०२४ फिटो-०१.०२.२०२५ इन्यूरेस-३१.०१.२०२४ प्रदूषण-०१.०२.२०२४	बी.आर.०६०३०१.ए०५. -७०३४	ग्राति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।		स्वीकृत।
23	श्रीमदी निमेला देवी, पिता—राजकिशोर तेलवारी, पता-०५०५ नं-०५— दिली कला टेस्ट, नई गढ़क रोड, हाजीपुर, जिला—थेहाली।	बी.आर.०६०३०१.इ. -५६२६	२७.०५.२०१९ मॉडल-२०१८	मार्ग संख्या-३३१४, बगह स्टेशन से दोतांगा, भादा—बगहा दाजार, चौहरव, नरसनी, लौरिया। प्रतिदिन दार लेप जान—आना। बगहा स्टेशन प्र-०५३०, ०९:२५, १३:०९, १७:३१ वेतन- ५०—०७१५, ११:१७, १५:५५, १८:५०	टेक्स- २६.०२.२०२४ फिटो-३५-२३.०६.२०२५ इन्यूरेस-०३.१२.२०२४ प्रदूषण- १४.०६.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। १—आपत्तिकर्ता श्री रेता कुनैर, परमिट संख्या वी. आर.०५०३०१.ए०५—२७६४, आवृत वाहन संख्या वी. आर.०६०३०१.इ०५—९२२१, मार्ग—बगहा स्टेशन से बोरिया। आपत्ति-०६०३०१.प्र०-१८५० आपत्तिकर्ता देवीया प्र०-१८५४, अंतराल ४ निट। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि प्रधिकार के विरुद्धानुसार व्रद्धस विन्दु पर ५ निट का अंतराल होना चाहिए। लाइंटक द्वारा ५ निट का अंतराल रामा—सरामो का प्रकाशन व्यवस्था नहीं है जो सुधे तंग तवां बड़ी ले लिया है।	बी.आर.०६०३०१.वी.-५२२१ टेक्स-३१.०१.२०२४ फिटो-२४.०२.२०२४ इन्यूरेस-०३.०६.२०२४ प्रदूषण-०४.०९.२०२४	आपत्ति-१ कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन संख्या वी.आर.०६०३०१.इ०५— ५६२६, परमिट संख्या वी.आर. २०२२—०४०३०१-२६०६७०, वैदेता-१९.१२.२०२७ का बग्ध टेशन में रामय ०६:२९ है। समय अंतराल १ मिनट है, जबकि २ मिनट होना चाहिए। परमिट सरेण्डर कर दिया गया है।	बी.आर.०५०३०१.वी.-५६२५ टेक्स-२०.११.२०२३ फिटो-२७.०२.२०२४ इन्यूरेस-२८.०४.२०२४ प्रदूषण-३१.०५.२०२३	४८ संख्या ०६ को बैतिया में समय १५:५५ स्पीक्टा होने के कारण घृतीय एवं चतुर्थ ट्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।
24	श्री अजय गणेश, पिता—विलोकी	बी.आर.०५०३०१.वी. -५१९८	१२.१०.२०२३ मॉडल-२०२३	मार्ग नंबर-४७८३, बेतिहारी से रवैल, शमा—रुपव,	३८८— २६.०२.२०२३ फिटो-३५-११.१०.२०२५	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अग्राह है।		आपत्ति-१ कार्यालय अभिलेख से मिलान करने	बी.आर.०५०३०१.वी.-६७०९ टेक्स-०६.०१.२०२४	
	पाण्डेय, पता—रथानादुर, आदानुर, जिला— पूर्वी चम्पारण।			सुरगली, शानगढ़ा। प्रतिदिन गाँव खेप जाना आना। मोतिहारी प्र-०५२५, ०७:४०, १०:०१, १२:५७, १४:५१ रक्षर्ता-५०—०६३७, ०८:४३, ११:१०, १६:१७, २०:११			पर वाहन संख्या वी.आ०५०३०१.वी. -६७०९, परमिट संख्या वी.आ०५०३०१.ए०५—३८७४०, वैदेता-०७.१२.२०२४ का रखरौल में समय ०२:१३ है। समय अंतराल २ मिनट है, जबकि ५ मिनट होना चाहिए।	फिटो-३५-०५.१०.२०२५ इन्यूरेस-०१.०८.२०२४ प्रदूषण-०८.१०.२०२४		
										पंचम ट्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।

क्र. सं.	वाहन स्थानी का नाम एवं भुगतान	वाहन संख्या	निवधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग इंद्र समय स्थानी	वैधता	आवश्यकता	अधिकारी के वाहन का विवरण	अधिकारी	वाहन स्थानी का विवरण	निर्णय	
25	श्री अवधेश कुमार तिवारी, पिता-श्रीकांत तिवारी, पता-चन्नरडिया, अरराज, जिला-पूर्ण चम्पारण।	बी.आर.05पी.ए. -6941	30.07.2016 मोडल-2016	मार्ग संख्या-4728, अस्सी तोला, गाँग-गाँगरेखा, गाँगचाट, तुकोलिया। प्रतिविन नौ डेप याना आन। अरेज ग्र-0534, 0831, 1127, 1328, 1556, 1708, 1832, 2010, 2152 मोतिहारे ५०-०७४९, ०९४६, १५५९, १५०७, १६२६, १७६९, १९२०, २१२०, २२२८	टेक्स- 21.01.2024 पिटनेश-22.12.2023 इन्हुरेंस-01.05.2024 प्रदूषण- 09.06.2024	शब्द पत के अनुसार वाहन परमिट से आदृत है। अपसि अपसि है।			सॉफ्टवेयर में बी० एल० टी० डी० अब प्रवरीत हो रहा है।		स्वीकृत।
26	श्री जीतनन्द कुमार, निरा-राजकुमार सिंह, पता-अनवरपुर, हाजीपुर, जिला-वैशाली।	बी.आर.05पी.ए. -5625	19.09.2015 मोडल-2015	मार्ग संख्या-3814, बाहा स्टेशन से बैतिया, भाया-बगह बाजार, चौतरवा, परसीनी, लौरिया। प्रतिविन दोन छेत्र। याना आन। बाट स्टेशन ग्र- ३७११, ११४३, १६४६ बैतिया ग्र-००-०३१, १३३६, १८५९	टेक्स- 10.12.2023 पिटनेश-27.02.2024 इन्हुरेंस- 04.12.2024 प्रदूषण- 24.09.2024	शब्द पत के अनुसार वाहन परमिट से आदृत है। अपसि अपसि है।		आपसि-१ जार्यालय अभिलेख से भिलान करने, ५५ धाइन रांझा दो.आर.05पी.बी. -5625, परमिट संख्या बी.आर. 2022-एस०री०-२६६६७०, बैतिया-१९.१२.२०२७, का बैतिया गैरमय १९:३० बजे है। अभ्य अरराल १ मिनट है, जबकि ५ मिनट होना चाहिए। परमिट सरेण्डर कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर में बी० एल० टी० डी० प्रदर्शित नहीं हो रहा है।	बी.आर.05पी.बी.- 5625 टेक्स-20.11.2023 पिटनेश-27.02.2024 इन्हुरेंस-26.04.2024 प्रदूषण- 31.05.2023	पांच दिनों के अंदर बी.एल. बी.डी. ऑफलाइन करने एवं 10000=०० रुपये जुर्माना जमा करने के शर्त पर क्रप संख्या ०५ को बैतिया में चागय ०९:३१ स्वीकृत होने के कारण प्रथम द्वीप कठव के साथ स्वीकृत।	
27	श्री अवधेश कुमार तिवारी, पिता-श्रीकांत तिवारी, पता-चन्नरडिया, अरराज, जिला-पूर्ण चम्पारण।	बी.आर.05पी. -6941	21.07.2012 मोडल-2012	मार्ग संख्या-2849, इक्सील से गलाहो, भाया-रानाड्या, पुरीनी, तुकोली, चौपाटार, लौरिया, लौरिया। प्रतिविन दो छेत्र। याना आन। एसील ग्र-०६३०, १६१२ गलाहो ग्र-००-०६३३, १७३०	टेक्स- 20.01.2024 पिटनेश-17.10.2024 इन्हुरेंस-26.11.2024 प्रदूषण- 01.06.2024	शब्द पत के अनुसार याना परमिट से आदृत है। अपसि अपसि है।		वाहन 10 वर्ष पुरानी है। अनुमान्य दुरी ४०० किमी मी० है। आवेदित दुरी- ११०×२×२=४४० किमी मी० है।		द्वितीय द्वीप कठव के साथ स्वीकृत।	

क्र० सं.	वाहन व्यापी का साथ एवं घुस पता	दाहन संख्या	नेशनल ही तिथि एवं मॉडल	मार्ग संख्या संग्रही	कैशला	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अध्युक्ति द्वारा वाहन का विवरण	विधि
28	श्री अद्वित्ताह शेख, पिता-मुर्दुजा शेख, पता-सिरिसिया बनकट्टा, सिकट्टा, जिला-परिचन चन्नारण।	वी.आर.22पी.ए. 5554	24.06.2023 गोडल-2023	मार्ग संख्या-2412 सिकट्टा से लालगढ़ आर-बद्दधर, बैसाव, बैतिया। प्रतिदिन यांच खाले ८:३०-०५:३०, ०८:०४, १२:४०, १४:५६, १७:५९ लालगढ़ प्र०-०६:३२, १०:५९, १४:००, २६:१५, १४:१५	ट्रेस- 20.12.2023 फिटनेश-23.06.2025 इन्हुरेंस 20.06.2024 उद्योग- 23.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेचर है। आपत्ति उपायन है।		आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलाया गया वाहन संख्या वी.आर.02ए.ए. ०९२७, परमिट संख्या वी.आर. 2023-एस०१०३-२९०१ए०, वैप्टा-०८.१०.२०२८, का लालगढ़ गै समय १९:१५ है। समव रागत है।	वी.आर.02ए.ए-०९२७ ट्रेस-12.02.2024 फिटनेश-10.10.2024 इन्हुरेंस 21.01.2024 प्रदुषण 02.08.2024	पचम द्वीप कटाव के साथ रवीकृत।
29	श्री शत्रुघ्न ताकुर, पिला-राणा अशोष ठाकुर, पता-मौल, नाधोपुर सुरता, छुड़नी, जिला-सुजपक्षपुर।	वी.आर.31पी.ए. 7840	०९.०३.२०२० गोडल-2020	मार्ग संख्या-३७९२, पटना से बित्तिया, मादा-दाखीपुर, बाचाक, लालांच, जातकौलीहर, फल्कुली, रामदग्गालुगर, मुजग्गहर, चोशन चानपुर, कांठी, नहनाल, जाई, गोलीपुर, राटेवगंध, चकिथा धावार, कल्याणपुर, मिराव कोठी, नोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप आगा ओना। पटना प्र०- ०८:१९ वेटन प्र०- १४:४५	ट्रेक्स 04.09.2024 फिटनेश-28.09.2024 इन्हुरेंस-09.01.2024 प्रदुषण 29.01.2024	शपथ पत्र के अनुसार वहन पर्सोन से डाकू है। १-आपत्तिकर्ता श्री निर्मय कुमार, परमिट संख्या-..... आकृत वाला संख्या आपत्तिकर्ता से आपत्ति में लिप्ता है कि- १. आपत्तिकर्ता श्री राधेन राकूर के परिवार में पूर्व से आर.पी.ए के द्वारा सम्म की यादि जान रही थी गयी है, २. श्रीमती गीता देवी, पति-शत्रुघ्न राकूर, वाहन संख्या-वी.आर.00पी.ए-००४० एवं १७०००/- रुपये का ज्ञानांतरा जमा कर दिया गया है, जो कि समदावीग जन नक्षे द्वेष गता था और कार्यालय द्वारा परिमित रद्द कर दिया गया। ३. पूर्व से इन्हें परिधार के लोटे पर जालो इन्हुरेंस का जाँच किया जा रहा है जिसका यांच अमीं तक पूर्ण नहीं हो पाया है।	श्रीमती गीता देवी, पति- शत्रुघ्न राकूर द्वारा वाहन संख्या-वी.आर. ०६पी.ए-००४० पर अधिरोपित १७०००/- रुपये का ज्ञानांतरा जमा कर दिया गया है।			स्वीकृत।

8 1 2

क्रम संख्या	वाहन संख्या	निवेशन की तिथि एवं मार्ग	सार्व एवं समय भारणी	बैंधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युदित	कार्यालय अधिकारी द्वारा वाहन का विवरण	निष्पत्ति	
30	श्री उज्ज्य णाण्डेय, पिता—चमद्याल जाप्डेय, सेवराळा, गाप्डेय दोला, ग्राम+पो—हरसिंही, जिला—पूर्वी चर्पाखण, मोतिहारी।	वी.आर.05पी.ई. -7041	21.07.2012 गौडा-2012	मार्ग संख्या 4726, थरेशाळ से गोतिहारी, गांव—टिलोरेखा, गावळ, ८५ कुड्डीलिंग। व्रतिदिन चात खेप जना आतः अवैदित ५०-०५:२७, ०८:१२, ११:०१, १३:२१, १५:४१, १७:१०, १८:१४ मोतिहारी प्र०-०७:४१, ०९:४२, ११:३६, १४:३७, १६:१३, १७:४२, १९:००	ट्रैक्स- फिटोरेश-०१.०१.२०२४ इन्फोरेश-२१.०२.२०२४ प्रतुषप- ०१.०६.२०२४	शास्त्र पत्र के अनुसार परत्तन परवित हो आयुत है। आपति क्षेत्र है।	वाहन 10 वर्ष पुरानी है। अनुगम्य दुरी 400 किमी है। आवैदित दुरी— $31 \times 2 \times 7 = 434$ किमी है।		सातग् द्रीप कंटाव के साथ स्थीरकृत।	
31	श्री विनय कुमार चौधे, पिता—रव्य विष्णु चौधे, पता—गननपुर, थाना—गोविंदगंगा, जिला—पूर्वी चम्पारण।	वी.आर.05पी.ई. -6135	21.06.2022 नैनेल-2022	मार्ग संख्या—२९१०, नवलपुर से पटना, गाया—बैंधता, जगदोबालुर, नवलपुर, अरेशज, खाजुराहा कोसरिया, दगरिया, बनिपुर, ररैथ, ल.तामाजा, हाँडीपुर प्रविदिन एवं खेप जन्म आतः। नवलपुर प्र०-०२:३३ पटना प्र०-०८:३२	प्रैट- १४.०३.२०२४ फिटोरेश- २०.०६.२०२४ इन्फोरेश-१७.०६.२०२४ प्रतुषप- ०३.१०.२०२४	शास्त्र पत्र के अनुसार यहन परमिट से जालूल है। १—आपत्तिकर्ता—श्री सत्येन्द्र कुमार, परीक्षा संख्या—वी.आर.2023-५५.परीक्षा-३-४५५, आयृत वाहन संख्या वी.आर.06पी.ई.-४१०१, मार्ग नवलपुर से चला। आवेदक घटना न०-०८:१२ आवैदिकाल घटना न०-०८:१३, अवैदित १ मिनट। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में दिया है कि अरेशज से खाजुराहा के दीन की दुरी २६ किमी है जबकि २४ किमी आवेदक में दिया दर्या है। जाने के क्रम में २४ किमी १० दर्शाया जाता है जबकि वापरा में कही २४ किमी है जिसकी १० दर्शाया जाता है। उसे इनका प्रकाशन रह दिया जाए।	वी.आर.05पी.ई. ४१०१ ट्रैक्स- १५.०२.२०२४ फिटोरेश- २६.०६.२०२५ इन्फोरेश-०९.०६.२०२४ प्रतुषप- ०२.०७.२०२४	आपत्ति—१ कार्यालय अभिलेख रो विलान करने पर वाहन संख्या वी.आर.06पी.ई. इन्फोरेश-००.०९.२०२४ प्रतुषप- ०२.०७.२०२४ प्रैट- ०३.११.२०२६, का पटना में समय ०८:१३ है। रामय अंतराल १ मिनट है, जबकि २ मिनट लंबा चाहिए।	वी.आर.05पी.ई. ४१०१ ट्रैक्स- १५.०२.२०२४ फिटोरेश- २०.०६.२०२५ इन्फोरेश-००.०९.२०२४ प्रतुषप- ०२.०७.२०२४	समय उक्सात के कारण अस्थीकृत।

f

r

o

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	नियधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपति	आपतिकर्ता के वाहन का विवरण	अन्युक्ति	कार्यालय अन्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय		
33	श्री दिलीप कुमार, शना, जिला- झज्जूर टी० डी० इम्बा०, पता—पी० भ० ३९, बसंत विहार, कॉलोनी, हरिवाटिका, चौक, बैतिया, जिला— प० चम्पारण।	वी.आर.22पी.ए. -5065	15.04.2021 गॉदान 2021	गोरे राष्ट्रीय—3014— बगड़ स्ट्रेन, से बैतिया, भाया— दू. आ, बजार, चौकरा, परस्सीनी, लौरिया। प्रतिवेदन बार, खंच, जाना, जाना। बगड़ स्ट्रेन, प्र०— ०३.१६ ०६. ५९ १०.३२ ५४.५३ वैतिया, प्र०— ०५.२९ ०९.०६ १३, ०४ १७.१५	टैक्स- 29.12.2023 फिटनेश-20.04.2025 इन्युरेश-30.03.2024 प्रदुषण- 22.11.2024	आपति एवं के अनुजार बाहन परनिट जे आइत है। १ आपतिकर्ता श्री दिलीप कुमार ने बैतिया दू. आ, बजार, चौकरा, परस्सीनी, लौरिया। वाहन सं० दीआर ०६०९, सी-४४५५ परमिट सं० बीआर २०२३ एस.जी. ०६४६५ मार्ग—बालभिन्नगढ़। लैल बौक से बैतिया। आपतिकर्ता ने आपाति दिया है कि वाहन भ० बैतिया ०५७०-५ ५०६५ जा बगड़ स्ट्रेन से प्रस्थन ०६.५४ है एवं इही० के बैनर पर चलने वाले वाहन सं० बीआर २२पी.ए ५०६५ का बगड़ प्र० ०६.५९ है। समय समान है। लैल के बैनर का नाम शिवदामी है। २—आपतिकर्ता—श्री दिलीप कुमार वैतिया—अल्प कुमार शाही वाहन र० नी.आर २२पी.ए-५०६५, परस्सीनी सं० बीआर/१०६/एस.जी./२३३/२०१९, मार्ग बैतिया से बर्दिमकीनगर गोल बौक। आपतिकर्ता ने आपति दिया है कि वाहन सं० बैतिया २२पी.ए ५०६५ का बगड़ से प्रस्थन १०.३२ है, जो शिवदामी के बैनर पर लगती है। शिवदामी के बैनर तले चलने वाले अन्य वाहन सं० बीआर १पी.ए ०९०४ का बगड़ स्ट्रेन प्र० १०.३३ है। आवेदक उसके एक दिन आगे समय स्वामी का प्रकाशन हरये है। जो प्राधिकार के निर्णय प्रथम विन्दु पर पांच दिनों का उल्लंघन है।	बी.आर.०६पी.सी.-४४५५ टैक्स-१९.०२.२०२४ फिटनेश-१८.०६.२०२४ इन्युरेश-१३.१२.२०२४ प्रदुषण-०३.०९.२०२४	वाहन सं० बैतिया ०५जी.ए ५६२५ एवं वाहन सं० बीआर १पी.ए. ०९०४ जा परमिट सरेण्टर कर दिया गया है।				क्रम संख्या ०६ को लेतिया में समय १३:०४ स्वीकृपा होने के कारण तृतीय ट्रैप कटाव के साथ स्वीकृत।

5 21 2

क्रम संख्या	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मोडल	गार्ड एवं समय सारणी	वैधता	आपेक्षित	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	जारीस्थ अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय	
34	श्री भोला कुगार, पिता—सदू आनन्द प्रकाश, पता—वाहन नं 01, पुरानी, बाजार, नरकटियापांज, जिला—पूर्व चंगपारा।	ई.आर.01पी.ए. 9221	21.12.2010 नं छता 2310	गार्ड संख्या -8614 बगला फॉर्स, से बेतिया, माटी-हा हा, बाजार, ढोरवा, परसाँगी, लौसिया। प्रतिदिन तीन, छेप, जाना, आना। बगला स्टेशन, ५०- ०६.३५ ०१, ५० १५.३८ बेतिया, ५०- ०८.५० १३.३१ ०१, ५८	ट्रेन- 20.03.2024 १५०८०- १२.०५.२१२४ इन्युरेस- ०४.०५.२०२४ प्रदूषण- १३.०७.२०२४	शाय नं १ के ३-५५८ वाहन मरमेट से आगत है। १-आपत्तिकर्ता—श्री तुशाप पंड पिलाई—जारी तिथि इनांक -७८, दिनांक ११.१२.२०२२ (वाहन से बीआर अपील -६२५), नाम— शाला स्टेशन रो बेतिया। प्रकाशन इनांक ७५६ दिनांक ११.१२.२०२३ शापत्तिकर्ता ने अपील में सिला है कि— इस विवेदन वाले हैं कि वाहन से बीआर ०१पी.ए. ५२२१ या बीआर०८५८० दिनांक २१.१२.२०२३ को यात्रा यात्रन १३ वर्ड पूरी कर रही है और आवेदक इच्छा जी ५०८५ ने उसे दिया। गया है कि बगला स्टेशन से बेतिया को इकलू दर्ता ०६.५ विलोगी बगला गया है तो इस अनुभार कुल ६८.४x६=४१२.४ विलोग दृढ़। और आविष्करण के विषय के शुनार०० वर्ड पुराना यात्रा को पत्र ४०० किमी० ताक ई परिधावन का आवश्यक है और आवेदक डाक दुवै का बान नहीं रखा गया है ताक ई आवेदक का बाय बेतिया के बगला जाने में वित्तीय खेल बनेगा पत्र ०१, ३१ है जबकि डाकरे यात्रा ०० लीआर ३१पी.ए. ५६२६ के स्थाइ परमिट रु०८ बीआर २०२३ एस.सी.-०६८५४ बेतिया पत्र १३.३१ है आवेदक ने पत्र तीन मिनट आगे भेजिये हैं। अवेदन तिया है। जो कि ग्राहिकार की द्वारा नुस्खा दिल्लू पर यांव गिनत अंतराल है। २. आधी ही आवेदक का बगला स्टेशन से बेतिया जाने करम से तुरीय खेल बगला स्टेशन -३.३४ है जबकि हमारे वाहन से बीआर ०८५८०१८२५६२६ के स्थाइ परमिट रु०८ बीआर २०२३ एस.सी.-०६८५४ बेतिया पत्र १३.३१ है आवेदक ने पत्र तीन मिनट आगे भेजिये है। ३. दाय ई आवेदक का गोलिया तो बगला जाने गे बेतिया पत्र ०६.५० है जबकि हमार वाहन से बीआर १पी.ए. ०३०४ वे ४४५४ परमिट रु०११/२०१५ बेतिया पत्र ०६.५१ आवेदक ने गत एक मिनट बागे मरमेट हेतु आवेदन दिया है।	श्री.आर.३१पी.ए.-५६२५ ट्रेन- १७.०१.२०२४ फिटनेश- १५.०३.२०२५ इन्युरेस- १७.०१.२०२४ प्रदूषण- ०५.०६.२०२४	झौफटवेयर में त्रयाहा स्टेशन से बेतिया ६२ किमी० अंकित है। युवा अवेदित दूरी ६२x२x३= ३७२ किमी० है।	आपत्तिकर्ता के यात्रन संख्या बीआर ०६पी.बी.- ५६२५ का बी०एलपीटी०८०१० सॉफ्टवेयर में अवधारणित है।	शाला से बीआर १पी.ए. ०९०४ का परमिट सरेण्डर कर दिया गया है।	आवेदन वापस लिया।

6
A
C

क्रम संख्या	वाहन व्यापारी का नाम एवं युक्ति वस्तु	वाहन संख्या	निवधन की हिस्थि एवं मॉडल	सर्वे एवं समय सारणी	दैध्यता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	आधिकारिक द्वारा दाहन का प्रिवरण	कार्यालय अध्यक्षित द्वारा दाहन का प्रिवरण	निर्णय	
35	श्री वित्तिक चूनार पिता-स्थ० विजय, कुमार, पता- महुआ, गिंहरदय, गहुआ, जिला-पैशाली।	के.आर.04.पी.ए.के. -6257	06.11.2019 मॉडल 2019	गांव सज्जा-2893- जन्माता से गहन, गाथा-नरी, महुआ, सांजुर ; प्रतिदिन, घार, खेप, जला, आना- जानवर प्र०- 06.40 10.39 13. 21 16.22 दृष्टा प्र० 08.47 12.19 14, 58 18.09	टैम्पा- 24.12.2023 फिटोग- 28.10.2025 इन्सुरेंस- 12.10.2024 प्रदूषण- 08.03.2024	शपथ पत्र के अनुसार स्टेयर है। आपत्ति आश्रण है।					रवीकृत।
36	श्री सत्य प्रकाश श्रीमाली पिता-धर्मदेव भगवा, पता-हिरिया घाट, चौतरिया टोला, वार्ड नं० 04, बैतिया, जिला- ए० यमारण।	के.आर.06.पी.ए.के. -6226	12.04.2023 गॉडल 2022	भारा० संख्या-3814- बगडा रेतेन रो बैतिया भारा०- दाना० बगडा, पैटराल, पस्ती०, लौरिया- प्रतिदिन पैद० खेप जाना जाना बगडा० रेतेन प्र०- 03.28 08. 19 12.49 15.34 19.16 बैतिया प्र०- 06.08 10.52 14. 04 17.58 20.36	टैम्पा- 11.01.2024 फिटोग- 11.04.2024 इन्सुरेंस- 09.12.2024 प्रदूषण- 11.04.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्टेयर है। 1-आपत्तिकर्ता श्री दिवेशदर सिंह वर्षो-टैप०-न्द्र ^० महुआ० सिंह वाहन सां० दीक्षार ००५०५-2445 परमित सां० दीक्षार २०२१-८३.सी०-०८२४ मार्ग-बालपीनगर से बलुडा चौक। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति दिया है की आपेक्षक एसी०११ से १३.२२ मे० ५० फ० लौरिया १३.३४ मे० पहुँच रहे हैं। जो १३.३४ मे० ५० फ० लौरिया १३.३४ मे० पहुँच रहे हैं। जो १३.३४ मे० ५० फ० लौरिया १३.३४ मे० पहुँच रहे हैं। जो १३.३४ मे० ५० फ० लौरिया १३.३४ मे० पहुँच रहे हैं। जो १३.३४ मे० ५० फ० लौरिया १३.३४ मे० पहुँच रहे हैं। जो १३.३४ मे० ५० फ० लौरिया १३.३४ मे० पहुँच रहे हैं। जो १३.३४ मे० ५० फ० लौरिया १३.३४ मे० पहुँच रहे हैं। जो १३.३४ मे० ५० फ० लौरिया १३.३४ मे० पहुँच रहे हैं। 2-आपत्तिकर्ता-श्री झोमोप ठाकुर वारदे-रणा दिलीप सिंह वाहन स०० शीआ० २२५०-८३५१ परमित १५९ / २०१९ मार्ग-रासी पकडी रो बगडा स्टेशन प्रलैंगित सनय सारणी पर आपत्ति के संबंध में। नियोगदान है कि हांशी गाडी स०० शीआ० २२५०-८३५१	वी.आर.06.पी.ए.-2445 टैम्पा- 13.01.2024 फिटोग- 04.09.2024 इन्सुरेंस- 12.01.2024 प्रदूषण- 14.12.2024 वी.आर.22.पी.०-8351 टैम्पा- 27.02.2024 फिटोग- 13.12.2024 इन्सुरेंस- 28.11.2023 प्रदूषण- 03.02.2024	परसीनी से लौरिया के बीच १३ किमी० की दूरी १२ मिनट में तय कर रहे हैं। गति ८५ किमी० प्रति घण्टा।			गति सीमा उल्लंघन के कारण आवेदन अर्वीकृत।
						हां। वां० शनी पकडी रो बगडा स्टेशन स्थायी परमित रो आवृत है जिसका बैतिया प्र० ०६.०७ प्रते है। उपर्योगी वडक ने अपने जात्य सारणी में बैतिया प्र० ०६.०८ जात् कराये हैं। जो मेरी गाडी रो एक मिनट पीछे है बैतियक कुछ निम्न है।					

8 1 A

क्रम संख्या	वाहन रखाई करने वाले पुरुष वरहा	वाहन संख्या	निवेदन की हितिधि एवं मोडल	सार्वजनिक समय सापेक्षी	दैशिला	आपेक्षित	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अनुचित	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
37	श्री अमरेश राव, पिता-द्वारिका राव, पता-चन्द्रील, नवलपुर, जिला- पर्यावरण।	वी.आर.45पी. -1438	27.02.2013 गोडल 20:2	मार्ग संख्या-3814 वगहा स्टेशन से खेतिया बाया- बगहा बधार, बीतरा, पर्यावरण, जोरिमा। प्रतिदिन तीन त्रैप जाना आता। बगहा स्टेशन पर- 04.40 09. 49 15.21 खेतिया 90- 06.16 12.46 17. 21	टैक्स- 20.02.2024 पिंडेश- 05.03.2024 इन्सुरेंस- 26.04.2024 प्रदूषण- 04.10.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आएगा है। 1-आपत्तिकर्ता श्री दिनेश घाटे-पूर्व नुग्रह वाहन पर्यावरण 08पी.ई-4946 50पी.ई से बीआर 2021 उपसी-151145 वी.आर-दगहा स्टेशन से बेतिया। आपेक्षिक श्री.आर स्टेशन पर-04.40 आपत्तिकर्ता बगहा स्टेशन पर-04.44 अन्तराल चर नित। लोकों गाड़ी का मार्न था है लोकल लड़ है। इसमें नुल फिल्म पर गाड़ी नहीं चलती सब्द प्रधिकार का गिनेस है यि मुख्य विन्यु पर याच मिनट 00. अंतराल लोना जाहिर जटाकि आटेका ने गेरे चार गिनट आरे प्रकारण करदे हैं इसलिए इनके अवैदन को रद किये गए।	वी.आर.46पी.ई-4945 टैक्स-29.12.2023 पिंडेश-19.01.2024 इन्सुरेंस- 13.10.2024 प्रदूषण- 01.08.2024	आपत्ति-1 लोर्डालय अपिलेक से मिलान करने पर वाहन सम्बन्धी ही.आर.22पी. - 7801, परिणीत संख्या श्री.आर. 2022-एस0010-035240. वेधात-17.02.2027 का वेतिया में रात 06:15 है। रात य समान है।	वी.आर.22पी.- 7801 टैक्स- 29.12.2022 पिंडेश-01.12.2023 इन्सुरेंस-30.06.2022 प्रदूषण-26.08.2023	प्रथम द्रीप कटाव के साथ स्वीकृत।
38	श्री सुनील कृष्णर छोड़े, पिता-रवै दिष्ट्यु श्वीमे, पता-मनकपुर थाना, गोविंदगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	वी.आर.08पी.शी -5771	15.11.2021 मंडल 2021	मार्ग संख्या-2910- नवलपुर से ८८ना गाँव- भोतिया, बगहा बधार, एकलपुर, डारेलज, खजुरिया, कोसरिया, देशरिया, मणिकपुर, सरैया, लालगंज, छालपुर। प्रतिदिन एक त्रैप जाना आता। नवलपुर पर- 00.30 वर्जना पर- 17.38	टैक्स- 29.01.2024 पिंडेश-20.11.2025 इन्सुरेंस-05.11.2024 प्रदूषण- 31.05.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से अनुत्त है। 1-आपत्तिकर्ता श्री चतोंद नुग्रह वाहन से वी.आर.08पी.शी-5807 आपत्तिकर्ता ने आपति पेश की तो गार्ग 90-2910 नवलपुर से वटना बने के उपर गे आपत्ति है। निवेदन नुग्रह कहना है कि वाहन १० बीआर 5771 पर आपति है चूकि गला से नवलपुर जाने वो २५ मी. लंबागां ये खजुरिया जो कि दूरी २६ किमी है जबकि उन्होंने बारेमा से खासुरिया की दूरी २४ किमी है जो बहत है।	वी.आर.08पी.एफ. -5807 टैक्स 27.02.2024 पिंडेश-05.03.2025 इन्सुरेंस-03.03.2024 प्रदूषण-05.03.2024	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी दम्पारण के द्वारा ८२ दिनांक ०८. ०४.२०२३ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खजुरिया से अरेठाज की दूरी २४ किमी है, जो ३१ मिनट में तथ कर रहे हैं। यति सीमा का उल्लंघन कर्ता हो रहा है।	पूर्वी दम्पारण के द्वारा ८२ दिनांक ०८. ०४.२०२३ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खजुरिया से अरेठाज की दूरी २४ किमी है, जो ३१ मिनट में तथ कर रहे हैं। यति सीमा का उल्लंघन कर्ता हो रहा है।	स्वीकृत।

क्रम संख्या	दाहन स्वामी का नाम एवं पूरा घटा	दाहन संख्या	निवेदन की तिथि एवं भोड़ल	मार्गी एवं समय सारणी	पैथका	आपस्ति	आपस्ति का विवरण	कार्यालय अध्यक्षसे पाले दाहन का विवरण	मिशन	
39	श्री चदन कुमार सिंह, पिता- भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, पता-गेन चोड़, एक्सोल, महादेवा मार्केट, निधर-बाटा श्री- कुम, जिला-पूर्वी घम्शारण।	नी.आर.06.06.0461	17.11.2023 विवेदन 2023	गार्मि-संवात-2656 रक्षील से बेतिया, भाग्य- रानगढ़ी, सुगाली, खपड़ा; प्रतिपिन रात खेप जाना आना। एक्सोल प्रा- 06.07.08.16.10. 24 12.35 14.55 17.24 19.45 बेतिया, ३०- 06.33 09.17 11. 27 13.48 16.11 18.40 20.55	टेल्स- 14.02.2024 फिटोश- 16.11.2025 इन्सुरेंस- 14.11.2024 प्रदूषण- 16.11.2024	श्रावण ५२ के अनुसार गहन रात्र है। १- आपस्ति तार्ता- श्री चदन कुमार गहन रात १० बीआर.022पी.ए. - ५६८४ आपस्ति तार्ता ने आगते दिवा है के आवेदक चन्दन कुमार खिंड के पारिवारिक सदस्यों एवं उनकी भवावेशपुरी बांड पर निम्नलिखित भवार्ड ८५ एवं रक्षील बरो पर रात्रामध्ये १५ घण्टाया है प्राप्तिकर के लियम के अनुसार कहाँ भी अपेक्षा वा उनके निवासन और उनके थार्ड दर सरकारी बकाया होने तर स्थानी भवार्डों जारी परविन पर बोनकर नहीं पिया जा सकता; २- श्री आर.06.06.06.1049 जो दुर्घटनार दिन, चंदना रिंठ के घिर के नाम दे है का देखन, फिटोश एकी फेल है। ३- वीआर.५६८७ जो दुर्घटनार दिन, चंदना रिंठ के दिन के नाम दे है, या टेल्स, फिटोश बकाया है। ४- वीआर.०६.०६५६ जो दुर्घटनार दिन, चंदना रिंठ के पिया जो नाम दे है, या फिटोश एवं इन्सुरेंस फेल है लाय द्वारा इसका स्कूली जानी है पिया भी स्कूल करने में याल द्वारा है। ५- श्रीआर.०६.०६५६, वीआर.०६५६ ए ७१६६, श्रीआर.०६.०६५६ ४२१५ गडेरीबपुरी बोर्ड पर परिवालिंग होती है। ये सभी जल्स स्कूल ने जल्सी है, आईपिए देव कर रखा गया है। ६- श्रीआर.०६.०६५६ ०६०० लो जर्मिक सिंह के नाम से है, शारीर, नाहीं ५, परिवट घोने द्वारा फिटोश, इन्सुरेंस जल्स होते हुए स्कूल में बह रही है। ७- श्रीआर.०६.०६५६, उषा देवी के नाम से है जो चदन दिन के नाम है। उषा वाहन का फिटोश, इन्सुरेंस फोल होते हुए अवारी गई; परविन पर चल रही है।	वी.आर.22पी.ए.-5658 टेल्स-25.12.2023 फिटोश- 26.08.2025 इन्सुरेंस- 25.09.2024 प्रदूषण- 28.09.2024 वी.आर.06पी.ए.-7166 टेल्स- 28.01.2024 फिटोश- 13.08.2024 इन्सुरेंस- 02.08.2024 प्रदूषण- 03.07.2024 वी.आर.06पी.ए.-4245 टेल्स- 09.01.2024 फिटोश- 13.08.2024 इन्सुरेंस- 19.01.2024 प्रदूषण- 13.02.2024 वी.आर.06पी.ए.-2671 टेल्स- 25.12.2023 फिटोश- 30.09.2022 इन्सुरेंस- 02.02.2023 प्रदूषण- 12.03.2024	आपस्ति-१ कार्यालय अधिकारी ऐ मिलान करने पर दाहन संख्या दी.आर.22पी. इन्सुरेंस- 14.02.2023 प्रदूषण- 10.11.2023 आपस्ति-२ वी.आर.22पी.ए.-1556 टेल्स- 27.08.2023 फिटोश- 16.12.2023 इन्सुरेंस- 14.02.2023 प्रदूषण- 10.11.2023	वी.आर.22पी.ए.-1556 टेल्स- 27.08.2023 फिटोश- 16.12.2023 इन्सुरेंस- 14.02.2023 प्रदूषण- 10.11.2023	आवेदक एवं आवेदक के माता, पिता तथा पत्नी के नाम से निवेदित खसीं पर बैठक के समय जुमाना लाभित होने के कारण आवेदन अस्वीकृत।

8 1 2

क्रम संख्या	आकृति रखने वाली जगह नाम एवं पुस्तक नंबर	दाहन संख्या	निषेधन की तिथि द्वारा प्रदिल	भारत एवं भारत सरकारी	दैक्षण्य	आपत्ति	आवश्यकता के बाहर का विवरण	अध्यक्षिका	जारीतय अनुसार सरकारी दाहन का विवरण	निर्णय
40	श्री सोनदर्श कुमार, मिला-रविन्द्रनाथ चौबे, पट्टा-गननपुर, थाना-गोविन्दगांज, जिला पूर्वी चम्पापाटा।	श्री.आर.केशव. -0427	26.02.2019 मार्गदर्शक गोडल 2018	मन्दि सख्ता -2650 गोडल, से रखीदार, भाया- हासीपुर, लालगंज, वैशाली, बिहार, आचार, जाफरपुर, शाहपुर-भंगा, करिया, खजुराहा, अरेश, हरसिंह, इपा। प्रतिवेदन एक लेप जाना आना। पटना, 30→ 06.32 एक्सप्रैल, प्र०→ 10.10	टैक्स- 04.02.2024 फिटोश- 20.03.2025 इन्हॉस-27.01.2024 प्रदुषण- 17.03.2024	शपथ पत्र के अनुसार ऐरोट श्री क्षिति है। आनंद आपात है।				स्वीकृत।
41	श्री सोनदर्श कुमार मिला-सिंहद्वारा चौबे, पट्टा-गननपुर, थाना-गोविन्दगांज, जिला-पूर्वी चम्पापाटा।	श्री.आर. 05पी०-0794	09.04.2019 मार्गदर्शक गोडल 2018	नारी संकेत-2910 पटना से नवलपुर, भाया हाजीपुर, लालगंज, सरिया, मणिकपुर, देवरिया, केरारिया, खजुराहा, अरेश, एक्सप्रैल, जाफरपुर-भंगा विद्या। प्रतिवेदन एक लेप जाना आना। पटना, 30→ 06.59 एक्सप्रैल, प्र०→ 09.46	टैक्स- 06.03.2024 फिटोश-20.03.2025 इन्हॉस-05.01.2024 प्रदुषण- 08.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन प्रदिल हे आनंद है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री शतेन्द्र कुमार, वाडा चौ बीआरपी.एक. ९८०७ आपत्तिकर्ता ने आपात दिया हे कि वाहन संख. श्री.आर.05पी०-0794 पटना से नवलपुर जावे के तर्थे मे अरेश से खजुराहा ले दूरी २८ किमी है जबकि उन्होने अरेश से खजुराहा की दूरी २४ किमी है जो गलत है।	श्री.आर.05पी०-0794 टैक्स-27.02.2024 फिटोश-05.03.2025 इन्हॉस-03.03.2024 प्रदुषण-05.03.2024	जिला परिवहन पदाधिकारी, दूसी चम्पापाटा के पत्रांक 62 दिनांक 08. 04.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खजुराहा से अरेश को दूरी 24 किमी है, जो 55 भिन्न में तय नहीं है। गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।	स्वीकृत।	

8 9

अप्रैल 2023 के बैठक के लिया गया निर्णय।

गाह अप्रैल - 2023 के कार्यवाही का क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पत्रों	वाहन संख्या सुल्क	मोडल	निवेदन/ संल. लेटर की दिनी	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अनुमिति	कार्यालय अधिकारीका वाले वाहन का विवरण	निर्णय		
	श्रीमति जाकती तिकारी, पाते- सुभाष चन्द्र पिंडी पाठा-बसंत बिहार कॉलोनी, इस्तिर्तिका चौक, बेतिया, डिल्ली-पहिंचम चम्पारण।	9000/ BR05PB- 5625 SC-41 (Seater)	2018	30-05-2019	मार्ग संख्या-3814 बगहा स्टेशन से बेतिया, भाष्या-बगहा बैजर, चौतरला, परसीनी, लौरिथा। प्रतिदिन तीन घण्टे जाना आना। बगहा स्टेशन प्र०--06.46, 11.27, 16.20 बेतिया, प्र०--09.16, 13. 36, 18.31	Tax- 20-11-2023 CF- 27-02-2024 INS- 26-04-2024 PUC- 31-05-2023	इपथ बत्र के अनुसार वाहन परमिट से आयुत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री डिमेश वारते धूम कुमार परमिट सं० BR2023-SC- 0758A, आवृत वाहन सं०- BR01PA- 2864 नार्ग-बगहा स्टेशन से बेतिया। आवेदक बगहा स्टेशन प्र०-11.27 आपत्तिकर्ता बगहा स्टेशन प्र०-11.29 अंतराल 2 मिनट। 1-आपत्तिकर्ता श्री अरुण तिरी परमिट सं० 139/2014 आवृत वाहन सं० BR05P- 4261 भार्ग-बगहा स्टेशन से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-09.16 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-09.19 अंतराल 3 मिनट।	BR01PA2864 Tax- 26-01-2024 CF- 05-12-2023 INS- 24-03-2024 PUC-05-05-2024 BR05P-4261 Tax- 17-01-2024 CF- 18-04-2024 INS- 11-05-2024 PUC-13-04-2024	(1) भार्ग का गुगल नम्बर 45575 है। (2) डिमेश वरिवहन पत्राधिकारी, परिवहन चम्पारण के पत्रांक 395 दिनांक 08.12.2023 से प्राप्त जाँच प्राप्तेवेदन के अनुसार भार्ग संख्या 3814 पर 3626 के बीच कोगन रुट की कुल लम्बाई 52.5 किमी है। कोगन रुट 77 प्रतिशत है, जो 40 प्रतिशत से अधिक है।				प्रथम एवं द्वितीय द्रिप कटाव के साथ आवेदन स्वीकृत।
17													

✓ 1 ✓

18

अक्टूबर 2023 के बैंडक का लंबित आवेदन पर लिया गया निर्णय।

मह अक्टूबर 2023 के जारीगाई का क्र० संत	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या शुल्क	मॉडल	भार्या एवं समय स्वारणी	देखता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अन्यफिल	कार्यालय अधिकारीका वाहन का विवरण	निर्णय
	श्रीमती हेमा देवी, पति—हरीश्कर शा. मत्त वेस्टमैन, चैल—सीतामढ़ी।	वी.आर.06पी. एक्स-8568	15.09.2023 मॉडल-2023	नाग सर्वा-2344 — ऐस्टर्प्प से सीतामढ़ी स्था-परसी। प्रदिव्विन ५५ लंब जाना जाने।	ट्रेसर— 12.03.2024 फिटनेश-14.09.2025 इन्युरेस-13.09.2024	साप्त चतुर्वेदी के अनुसार वाहन रथेवर है। १—आपत्तिकर्ता—हरीश्कर शुल्क, वाहन संख्या—वी.आर.24पी.—5912 ग्रामांशन लं देखता— 27.01.2024	(१) वी.आर.06पी. -5648 ट्रेसर— 27.01.2024	आपत्ति-१ कार्यालय अधिकारीके से मिलान करने पर वाहन सं।—वी.आर.06पी.र.	ट्रेसर— 07.03.2024 फिटनेश-18.08.2024 इन्युरेस-05.03.2022	
11				बोलराप्प न०-06.30, 09.25, 11.30, 13.25, 15.00, 17.41 सीतामढ़ी वा. 08.09., 10.22, 12.06, 14.20, 17.01, 18.21	प्रदुषण— 14.09.2024 आपत्ति चेता है। वी.पत्री हमा देवी पर दूर्घ का ट्रैक्स बलाया है जिसका विवरण निम्न है— (१) वी.आर.06पी.-5548 श्री हरीश्कर शा. 27.04.2020 से वाकाया। (२) वी.आर.06पी.-8119 श्री हरीश्कर शा 31 06.2002 से बलाया। (३) वी.क्षर.06पी.-3611 श्री प्रभात चन्द शा 11.08.2002 से बलाया। (४) वी.आर.06पी.-4425 श्री रवीरेजन शुल्क ज्ञा फिटनेश ०८.०६.२०२३ से फेल। उपरोक्त के आलोक में अपनी छवि वी.आर. 06पी.-4425 जो गाड़ी की हाथी बेपक्ष इन दूसरे भव्य दी से हैसा फेल ४० (५.०) पोलो) गाड़ी बरोदाकर उस पर अवैध रुप से वी.आर.06पी. 4425 नम्बर लगाकर अवैध परिवालन कर रहे हैं।	प्रदुषण— नहीं ट्रेसर— नहीं फिटनेश— 03.09.1992 इन्युरेस— नहीं प्रदुषण— नहीं (३) वी.आर.06पी. -3611 ट्रेसर— नहीं फिटनेश— 14.11.1996 इन्युरेस— नहीं प्रदुषण— नहीं (४) वी.आर.06पी. -4425 ट्रेसर— 08.02.2024 फिटनेश-05.12.2023 इन्युरेस-08.06.2024 प्रदुषण— 25.04.2024	प्रदुषण— 2630 परमिट सं।-692 / 2009 लैंप्डा ०७.१२.२०२४ का रोलामदी में समय १४२३ है। समय अंतराल ०३ मिनट है, जबकि ०५ मिनट होना चाहिए। फिटनेश— 27.07.2010 इच्छिक नहीं प्रदुषण— ०५.०२.२०२४ (२) वी.आर.06पी. -8119 ट्रेसर— नहीं फिटनेश— ०३.०९.१९९२ सोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर के जीघं प्रतिवेदन ले अनुसार वाहन संख्या वी.आर.06पी.-4425 के चेकिस से छेड़छाड़ ली गयी है, जिसपर ५००० रुपये जुर्माना अधिरोपित है। वाहन संख्या वी.आर.06पी.-8119 पर ६८०२४-०० रुपये एवं वी.आर.06पी. -3611 पर ६८०२४-०० रुपये जुर्माना अधिरोपित है, जो चंदन ट्रैवल्स के अंतर्भूत परिवालिस होती थी।	प्रदुषण— 15.02.2024	प्रोटरयान निरीक्षक, गुजरात प्रश्नपत्र अधिरोपित जुर्माना कुल 141048=00 रुपये जमा करने एवं जुर्माना लघित रहने के बावजूद आवेदन करने के कारण 10000=00 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने के पश्चात विचार किया जाएगा।	

8

M

2

नंबर अन्तर्गत 2023 के कार्यवाही का क्रमांक	वाहन संख्या का नाम एवं पुस्तक प्राप्ति	वाहन संख्या शुल्क	मॉडल	भारी एवं समय सारणी	वेक्षन	अधिकारी	आपत्तिकारी के वाहन को विवरण	लेखन	कार्यवाही आवेदित वाहन वाहन को विवरण	नियम
27	मोहसद किलोमीटर-गोहमद इदरीम, पता-बेरका, एगगढ़वा,, जिला- पूर्णी विधान	बीआर 22 पीए-5655 पौड़ा-2023	27.09.2023	गांग चंडी-2656, एकल से दोतों बाया-रानगढ़वा, पुणीली, उत्तर, निविदि, भौंद खंड जाना आना।। एकल प्र-04:19, 07:08, 10:32, 13:29, 16:23, दोतों प्र-00:00, 08:49, 11:32, 15:21, 18:25,	टेक्स- 24.12.2023 दोतों 26.09.2023 इन्युरेन- 25.09.2024 इन्युरेन-26.09.2024	शाय ८२ के अनुराग नं. ५०, जोड़ ५। १-आपत्तिकारी नाम आमिश, पर्सिट २- वीडियो-2022-SC-1059A। (प्रवृत्त व-४। ३- बीआर ५० पी-६७३४ पार्स-४४०० नं. वेक्षन।। आपत्ति- ५०१०१ प्र०-००२। आपत्तिकारी- एकल ४०-१०१, उत्तर ०१ निवन।। जिलों के प्राथेक रोड विशेष हो अतःके पे आपत्ति को मेरे जगत् से २ निवन गोंद आपत्ति- जाना चाहिए भा। शाय ८२ अनेकों दो वाहन, जो विशेष तार देते, जो अन्य कुनै एवं वै-हावी पुणी पकाड एक ही वर प्रवाल है। किन्तु प्रत्येक वाहन के पाठे विकल्प दिलाय, तुड़वा, बहुताह वेनव विश्वनाथन जिला अद्य इन विवाता वाले हैं। परन्तु राजी एवं ही दैन-दर चलते हैं। (जिला के ज्यैं वाहनों के पाठे का फोटोग्राफ संलग्न है) श्री शशि कुमार प्रकाश ने १० निवायित वाहन लाला नीपूर ०८ पी-००८७, श्री नवि दार देवी के नाम निवायित वाहन संख्या-जोड़ा-०९ पी-०६१, ०८ जी निवाय शुभार के नाम निवायित वाहन संख्या- जी-जोड़ा-०८ पी-०९२ ये दोनों वाहन के नाम एवं जो वाहन पर आपत्ति होने उत्तर ५० के दोनों वाहन के गोंदिट पर निश्चर नहीं किया जाता। २-आपत्तिकारी- ०१ दोतों दो प्राप्त है जिसका chandakasingh-४८२१, लैंगमाली, जाना, दे ख बेदा-० के बैनर पर पड़ते हो जुगानी नहाना है। जिम्मेदार वाहन संख्या- जी-जोड़ा-०९८१, जी जोड़ ०६ पी-०६१, जोड़ा-०८१, जोड़ा-०८२, एवं जी-जोड़ा-०८ ०३ पी-०८१ और जी-जोड़ा-०८ पी-०८१ है। जो एक मैं ०१८ पर गाँड़ी दोनों दो जांड़ीया विकाय विकाय संख्या इत्यांगी नीर धन नाम दिया है, जिसपा टक्स	बीआर ०५ पी-५७३४ टेक्स- 13.01.2024 दोतों ११.०९.२०२४ इन्युरेन-३१.०७.२०२४ प्रदुषण-०३.०९.२०२४	आपत्ति-१ कार्यालय अधिकारी राँ मिलान करने पर वाहन सं०-बीआर २२ पौ. १५६६, पर्सेट सं०-जी.आ०५. २०२२-४८०८-२४०२४०, वैक्षन १०. ११.२०२२ का एकल में सनय १०:२३ है। सनय सामान है। आपत्ति आपेक्षा गे अकिल वाहनों की जौच जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से करायी गयी।	१. बीआर २२ पौ-१५६६ दोतों २७.०९.२०२३ प्रदुषण-१६.०२.२०२३ इन्युरेन १४.०२.२०२३ प्रदुषण-३०.११.२०२३	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से विस्तृत जौच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विवार किया जाएगा।
28								प्राप्त आमूरनामुभार गो०१ कलाम अजय कुमार एवं विजय कुमार आपत्ति वाहनों का परिवाहन एक ही बैनर के अंतर्गत वाहन है। श्री दिव्य कुमार की बैल श्रीगंगी तारा देवी के नाम से निर्मित वाहन संख्या बीआर	०६पी-०८४१ पर ६०८३०-०० रुपये जुर्मान लघित है।	

मात्रा	अरक्षन स्थानीय का नाम एवं पुस्त क्रमांक	दाहन संख्या शुल्क	मॉडल	मात्रा एवं समय सारणी	दोषरा	आपेक्षित	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	आवृत्ति	संग्रहालय अधिकारी द्वारा वाहन का दिनरज	मिशन
24	श्री अंजय कुमार पिता—कृष्णनाथ कृष्णाद, पटा—लक्ष्मीपुर, कौरिलार, जिला—पूर्वी चंगारण।	श्री 0आर, 22 पी ५-५६५४	27.09.2023	ग्राम सज्जा—2656, रखील से वेत्ता नाम—राम डाया, चुम्हीने, छप्पा, प्रतीक्षित पांच छेप याना आग। रखील प्र०—०५३१, ०८२०, ०१४९, १३३९, १६३५, वेत्ता प्र०—०८४४, ०९३०, १२३७, १५२१, १७५५,	लैंगरा—25.12.2023 गिरने—26.04.2025 इन्सुरेंस—25.09.2024 प्र०—०५३१, ०८२० प्र०—०८४४, ०९३०, १२३७, १५२१, १७५५,	शास्त्र पत्र के अनुसार वाहन खेल है। —आपत्तिकर्ता—मी०० खालिक, एकमट स० वीआ०२०२१-SC-01७७A। शास्त्र वाहन स०—वीआ० ०५ पी-६३७७ भारी-१५८८ लं ग्रे बोर्ड। आपेक्षित—वेत्ता प्र०—१८-१७५५, वाहनीकर्ता—वेत्ता प्र०—१८-१७५५, अंतराल ५। ग्रेन। जहाँ प्रतीक्षित के निर्वाचन के अलाके में राटोदार को मेरे समान से २ निम्न पौर्ण अंदेन करना चाहिए था। जात्य ही आपेक्षित के बापो भई श्री राधे शूभा प्रराप वित्ता कागजान्य प्रसाप के नाम निवेदित घड़ा बीआ० ०८ पी-५५७५ पी-८८ औ वैनर विक्रा विक्रार से जात्य से भलती है। दोनों गहोदर भाई हैं। जवा वाहन का दूसी कागजात की नाम आधी समाप्त हो चुकी है। चठग न्र- २०३ से सरकार वा लाली लख्या ला एवं सकार है। वाहन कर ग्रनदृ है। प्रतीक्षित का निवेदित है कि जी गी दैनंदि के उडल जो वाहन कर प्रमाणी होगे उन वैनर के किसी यहन के परामर्श एवं विवर नहीं किया जावेगा। शह शीघ्रता से नम निवेदित है कि अपार्टी ६५५ ने रावित विचारकरन्त ही कोई निर्वाचनी को बूढ़ा नहीं जाय। इसके लिए १. शीघ्रत का आदा अन्नारी रहेगा। २. शाप्रतिकर्ता—को हमेल से प्राप्त है विवरण ch@pratikartar1821@gmail.com, है। आपेक्षित के हैनर पर पहले से ऊर्जान बनाया है। जिसका वाहन चंगारा—वीआ० ०८३०-१९२१। ही वाहन ०५ ऐप्प०-४६८१, वीआ० ०८	वीआ० ०८ पी-८९८६ टेक्स १०.१२.२०२४ वीआ० ३०.११.२०२४ इन्सुरेंस—२४.११.२०२४ प्र०—०८३०-१०.०२.२०२४	क्षापति आदेश में अंकित वाहनों की जीव जिला परिवहन अधिकारी, मुजफ्फरपुर भे करायी गयी। जावेदल का कहना है कि आपति अवैदन से अंकित वाहन उनके वैनर के अन्तर्गत प्रतिवाहित नहीं होती है। वाहन संख्या वीआ० ०८३०-१९२१ का निवेदित दिनांक १४.११.२०२३ को रद्द हो चुका है।	प्राप्त आसूच्छा कुमार गोपी कलाम, अंजय कुमार एवं विवरण कुमार अपने वाहनों का परिवाहन एक ही वैनर के अन्तर्गत करते हैं। श्री विजय कुमार द्वी वाहन श्रीमती तारा देवी के नाम से निश्चिह्न वाहन रास्ता वीआ० ०८पी-५६४१ पर ८०६३०-०० रुपये पुराना लिखित है।	
					प्र०—०५३१, व० वीआ० ०८ पी-८९८७ और वीआ० ०८ पी-००९७ है। दो एक ही वैनर पर गाड़ी चलती है। कुट्टेया, लिपाव विलाल, सर्दार। इस गाड़ी के बाप का नाम दिया है, जो राम देस्स, झुरेस, शीघ्रत, करू है।					

44

नवम्बर 2023 के बैतक के लिए आवेदन

माह नवम्बर - 2023 के लिए संख्या	दाहिने स्थानीय क्रम नाम एवं पुरुष भट्टा	दाहिने संख्या	सॉल्ल	भार्या एवं समय सारणी	दैध्यता	अधिकारी	आधिकारी के दाहिने का विवरण	अमुदित	कार्यालय अभियुक्ति द्वारा दाहिने का विवरण	निर्णय
22	अमिका द्रेमल्स, बी० रोप. सिंह, शेखपुर, अस्सिलालाघाट, अहिंगपुर, जिला— मुजफ्फरपुर।	बी०आर. ०६ पी.ई.—१४३६	२६.०२.२०१९	गांग राज्या—२४०७, एपर्सन सेंडल—२०१९	दैध्यता—२०.०२.२०२४ फिटनेस—१२.०३.२०२४ इन्शुरेंस—१३.०२.२०२४ प्रदूषण—२०.११.२०२४ १ बी०आर.०६पी.ए— ४९०० टैक्स—०७.०३.२०२४ फिटनेस—१३.११.२०२४ इन्शुरेंस—२२.११.२०२४ प्रदूषण—१४.०७.२०२४ २ बी०आर.०६पी.सी— ४७५६ टैक्स—०२.०१.२०२४ फिटनेस—०१.०८.२०२४ इन्शुरेंस—१८.११.२०२४ प्रदूषण—१४.०७.२०२४ ३ बी०आर.०६पी.बी— २०५३ टैक्स—२०.१२.२०२३ फिटनेस—२३.११.२०२४ इन्शुरेंस—१०.११.२०२४ प्रदूषण—१४.०७.२०२४ ४ बी०आर.०६पी.सी— ५७४८ टैक्स—२९.०१.२०२४ फिटनेस—०३.०८.२०२४ इन्शुरेंस—२१.११.२०२४ प्रदूषण—१५.०७.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार इहन परमित से दादृ है : १. आपत्तिकर्ता- श्री केशव राम, नरनिट संख्या—BR2023-SC-3154A (आपूर्त वाहन संख्या- बी०आर.०६पी.ए—४३३६), मार्ग—एपर्सन से वेरियो वस सेंडल। आपत्तिकर्ता—नेहर—आमेदित दाहिना आविका द्रेमल्स के गोर्ड (बैनर) पर प्रचालित होती है। आन्विक द्रेमल्स के अन्तर्गत प्रवर्तित होने वाली गाड़ियों का इन्शुरेंस (बीम) बी०आर.०६पी.ए—४३३६ से जिसका नाम निम्नलिख है— १. बी०आर.०६पी.ए—४९०० इरा गाड़ी का इन्शुरेंस जाली है। ५०५ का इन्शुरेंस है। इन्शुरेंस की पोषी एवं प्रतिकूल इस कानून के साथ संतुलित है। २. बी०आर.०६पी.सी—४७५६ इस गाड़ी का बी०आर. ०६पी.सी—४७५६, बी०आर.०६पी.बी—२०५३, बी०आर.०६पी.बी—५७४८, आवेदक के हैनर तले परिचालित नहीं होती है, जबकि विश्वजित द्रेमल्स के अंतर्गत परिचालित होती है।	आपत्ति—१ बी०आर.०६पी.बी— ४३३६ टैक्स—०९.०२.२०२४ फिटनेस—२०.०४.२०२४ इन्शुरेंस—०२.०४.२०२४ प्रदूषण—१३.०७.२०२४ २. आपत्ति—२ बी०आर.०६पी.सी— ४३३६, बी०आर.०६पी.बी—४३३६, टैक्स—०९.०२.२०२४ फिटनेस—२०.०४.२०२४ इन्शुरेंस—०२.०४.२०२४ प्रदूषण—१३.०७.२०२४	आपत्ति—१ बी०आर.०६पी.बी— ४३३६ टैक्स—०९.०२.२०२४ फिटनेस—२०.०४.२०२४ इन्शुरेंस—०२.०४.२०२४ प्रदूषण—१३.०७.२०२४	द्वितीय द्रिप कठाव के साथ रवीकृत।	

6

7

8

संठ नवंबर— 2023 के कार्यवाही का क्रम संख्या	वाहन स्टोरी का नाम एवं पुरा वर्णा	वाहन संख्या	मॉडल	भारी एवं समय सारणी	दैध्यता	शास्ति	आपेक्षित के वाहन का विवरण	अन्वयिता	कन्यालिंग अभियुक्ति साथे वाहन का विवरण	निष्पत्ति
संठ नवंबर— 2023 के कार्यवाही का क्रम संख्या	वाहन स्टोरी का नाम एवं पुरा वर्णा	वाहन संख्या	मॉडल	भारी एवं समय सारणी	दैध्यता	शास्ति	आपेक्षित के वाहन का विवरण	अन्वयिता	कन्यालिंग अभियुक्ति साथे वाहन का विवरण	निष्पत्ति
23	कौशल लिशोर सिंह, पिता - राम बालक सिंह, गरा - इश्वरपुर, आहियापुर, जिला - मुजफ्फरपुर।	वी.0अर 06 01ए-7236	वी.08.2011 नंबर-2011	मार्ग संख्या-2407, पिपरही से बैरिंग बरा ५३५५ पा-शिवडार, कुशाहर, तरियानी, मीनापुर, सीरोमाइल, प्रतिदिन तीन ढेर जान जाना। प्रेसरह- १०-०६-५०, १०-५१, १४-५५, वैरथ बरा स्टैन्ड प्र०-०८-४०, १२-४०, १७-३४,	१०-०८-०३.०२.२०२४ फिटनेश- १९.०७.२०२४ इन्शुरेंस- ३०.०९.२०२४ प्रदूषण- १२.००.२०२४ प्रिलेन्स- ०३.२०२४ प्रिलेन्स- २३.११.२०२४ इन्शुरेंस २२.११.२०२४ प्रदूषण- १४.०७.२०२४ २.वी.आर.०६पी०१- ४७५६ टैक्स- ०२.०१. २०.२४ प्रिलेन्स- ०१.०८.२०२४ इन्शुरेंस- १६.११.२०२४ प्रदूषण १४.०७.२०२४ ३.वी.आर.०६पी०१- २०५३ टैक्स- २९.१२.२०२३ प्रिलेन्स- २३.११.२०२४ इन्शुरेंस १६.११.२०२४ प्रदूषण- १४.०७.२०२४ ४.वी.आर.०६पी०१- ५७४८ टैक्स- २८.०१.२०२४ प्रिलेन्स- ०३.०९.२०२४	शाश्वत नत्र के स्तुपार वाहन परमिट से आवृत्त है। १. शापर्टेजर्स- श्री केवां सिंह, परनिट वी.आर.०६पी०१-४७३६ टैक्स- ०२.०२.२०२४ फिटनेश- २०.०४.२०२४ इन्शुरेंस- ०२.०५.२०२४ प्रदूषण- १३.०७.२०२४ शाश्वत नत्र के स्तुपार वाहन परमिट से आवृत्त है। शाश्वत वाहन के बांडे (रिन) पर प्रचालित होती है। शाश्वत वाहन के अन्तर्गत प्रचालित होने वाली गाड़ी का इन्शुरेंस (बी.ए) जालो है जिसका नम्बर नेम्बर है-- २.वी.आर.०६पी०१-४७०० इस गाड़ी का इन्शुरेंस जाली है। कार का इन्शुरेंस है। इन्शुरेंस १६.०१.२०२४ प्रिलेन्स इस आवेदन के साथ संलग्न है। २. वी.आर.०६पी०१-४७५६ पुरा गाड़ी का भी इन्शुरेंस जाली है। कार का इन्शुरेंस है। इन्शुरेंस कौपी १८ पार्टिकुलर इस आवेदन के साथ संलग्न है। ३. वी.आर.०६पी०१-२०५३ २०५३ फ्लू.गाड़ी का भी इन्शुरेंस जाली है। इन्शुरेंस कौपी छाली कार का नंबरसी दत्तात्रय गाड़ी है। ४. वी.आर.०६पी०१-५७४८ इस गाड़ी का भी इन्शुरेंस १६.११.२०२४ है। लार का इन्शुरेंस है। इस इन्शुरेंस कौपी १८ पार्टिकुलर इस आवेदन के साथ संलग्न है। पिर श्री स्वामी गढ़ियां का परिवालन आन्देवा प्राप्ति के बांडे बैगर पर हो '४६' है। इन लाली गढ़ियों के नरिचलन पर रोक लगाया जाए। अतः श्री मन से निषेद्ध है। ये इनके आवेदन को	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के जोध प्रतिवेदन के अनुसार याहैं संख्या वीआर.०६पी०१-४७३६, वीआर ०६पी०१-४७५६, वीआर.०६पी०१-२०५३, वीआर.०६पी०१-५७४८, आवेदक के हैनर तर्क परिचालित नहीं होती है, जबकि विशेषित ट्रैकलर के अंतर्गत परिचालित होनी है।	मॉडल-2011 अनुमान दूरी-400 किमी० आयोडित दूरी-486 किमी०	अनुमान्य दूरी का उल्लंघन हो रहा है।	सूतीय ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।
				इन्शुरेंस- २१.११.२०२४ प्रदूषण- १५.०७.२०२४						

8

↗

↗

माह प्रतिश्वस्त्र— 2023 के फार्मर्बाही का क्रम संख्या	वाहन रक्षाकी का लोक एवं पुराने घटना संख्या	वाहन संख्या	भौमिका	जारी एवं संलग्न संख्या	दैनिका	अधिकारी	अधिकारीकर्ता के दाहन का विवरण	अधिकारीकर्ता का विवरण	निपाली			
27	श्रीयती बहिका खेति, नामि—बन्दन कुमार रिंह, पता—गोन सोड, रक्षील, डिल्ला—पूर्वी चापांखण।	श्री.आर.44भी. -3094	10.02.2015 मोडल—2014	माने रक्ष्या १६६६, रक्षील से देखिया, माया—रमगढ़ा, पूर्वी, ४७५। प्रातीकर्ता बौद्ध लेप जाना आन। रक्षील प्र०— ०४:१४, ३७:३३, १०:४९, १४:०७, १६:३४ देखिया प्र०— ०५:५५, ०९:३३, १२:३१, १५:१५, १७:५०	टेक्स-१९.३२.२०२४ पिटनेक—१५.०९.२०२४ इन्टरॉक—०३.०९.२०२४ ग्रुक्षण—०३.०४.२०२४	उपथ पत्र के अनुसार वाहन प्रसीदत से अकृत रही है। १. आपत्तिकर्ता— श्री अजय कुमार, परमिट राख्या— (अजय वाहन संख्या—श्री.आर.२२भी.५५ ५६५८), चने— आवेदक— रक्षील प्र०— १०:४९ आपत्तिकर्ता रक्षील प्र०— १०:४९, अंतराल सेव समय। अपेक्षा— देखिया प्र०— १२:३१ अपत्तिकर्ता बौद्ध लेप समय। आवेदक रक्षील प्र०— १०:३४ आपत्तिकर्ता रक्षील प्र०— १०:३५, अंतराल १ मिनट। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि :- १. आवेदक के छपड़ के आलोक गे पिछली बैठक में इस गङ्गा के अतिरेक पर उत्तेजित गिरण्य होने पर शब्द र्याकृति प्रदर्शन करने का निर्णय हुआ है। २. आपत्तिकर्ता द्वारा गलता आपत्ति ऐक्स उल्फ़ा कर, जगद्गुरु कर अपनी छाय का रैम-इमेय का प्रत्ताव दिया है, जाविं पहले से चार बिन्दु पर सेव समय एवं १ मिनट अन्ते का घस्ताव है। निवेदन है कि मेरी दस के आवेदन लीच के द्वाद निर्णय लेनेर लिखित न्याय करने की कृपा करें। ३. आवेदक का बस फर्जी-२०१५ रम है (जेसका आगू ०४ दर्द ५ याह ले द्वयान है। संभावित निर्णय के अनुसार र्याकृति यैने की कृपा करें। प्रधिकार के निर्णय के अनुसार उत्त नार्म गर ५ मिनट का आपाशन दोना साहित।	वी.आर.२२भी.५५-५६५८ टेपा—२५.१२.२०२३ लिनेश—२६.१२.२०२५ इन्युरेस—२५.१२.२०२४ प्रदुषण—२६.०९.२०२४					आवेदक एवं आवेदक के माता, पिता तथा पत्नी के नाम से निर्दिष्ट बराँ पर बैठक के समय ज्ञानांना लियित होने के कारण आवेदन अस्वीकृत।

८ १ २

५

नाम नवम्बर- 2023 के कार्यक्रमों का क्रम संख्या	याहन खाली का समय द्वारा पुरा पता	याहन संख्या	सॉडल	सार्व एवं समय सारणी	विधान	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	असुरक्षित उपचार का वाहन द्वारा विवरण	निर्धारित अभियुक्त वाहन वाहन द्वारा विवरण
31	श्री प्रफुल कुमार तिवारी, पिता श्रीकांत तिवारी, पता—सिकरा बेलवा, पोर्ट—महुई, थाना—रामनगर, ज़िला—परिचम ज़म्बारण।	वी.आर.05पी.वी. सी.—6782	12.02.2015 मॉडल नं. 2015	मार्ग नं. 3814 छ.हा स्टेशन से देवीसा, ४००—६ महा बाजार, चौतरावा, परस्तीनी, लोसिया। प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित जन्म अन्तर्भूत वाहन रद्देशन प्रा.—११३०; 14:00 देवीया प्रा—०९:१४, १७:३८	टेक्स-०९:०१.२०२४ पिटनेस-२२.०२.२०२४ ५८००१—१०.०२.२०२४ प्रदुषण-०१.०६.२०२४	एफम पक्ष के अनुसार वाहन न्यूमोट रो आड़ा नहीं है। १. आपत्तिकर्ता— श्री सुनाप चन्द तिलाई वास्ते जांठी देवीया, झार्गांव भृत्या—२३८, दिनांक—१३.०४.२०२३ (आपत्ति वाहन अंगुष्ठा वी.आर.05पी.वी.—६८२५), मर्म—बगल रद्देशन दो लोसिया। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि— १. वाहन रोजांव की आर.05पी.वी.—६८२५ या पर्स्तीनी छु पक्षांशन दिनांक १३.०४.२०२३ को दुख और शोषण आधुनिक—८—अध्यक्ष द्वारा लार्वाई है और ५ दे (V) में पहले शोष—पहले पांच के निगम के आगार पर ग्राहितार में दाम रद्द वाहन लाला वी.आर.05पी.वी.—६८२५ का आपत्तिकर्ता झालांव—२३८, दिनांक—१३.०४.२०२३ के प्राप्तिकर्ता की देवीया दिनांक—०९.०६.२०२४ के कार्यालय के कर्ताने ८७ पर जिला प्रभावी वाहनिकाली, विशेष व्यवसाय, बेतेथा से नाम लेखा ३८१४ तां ६८२५ शालापन को प्रदाता द्वारा विशेष नामांदेशन प्राप्त होने पर दिवार लिखा जाएगा जिसके पारण आपत्तिकर्ता है, जिसमें देवीया या वाहन रद्देशन जाने के क्रम में प्रथम द्वेष नै देवीया प्रस्ताव ०९:१४ है। जावड़ि हारै विलुप्त वाहन संख्या वी.आर.05पी.वी.—६८२७ का देवीया से वाहन लेखा जाने के क्रम में देवीया प्रस्ताव ०९:१४ दिखा गया है, उक्त विन्दु पुर्ख विन्दु है और ५ मिनट का समय अंतर जल्दी है। ये निम्नलिखित नहीं हैं। अवेदन दूरी अंत अकादम में ५०० लोंग से दुर्घट स्टेज जाने के क्रम में किताबा समय लागत है, उपरां क्षण नहीं किया है, साथ ही ग्रामीण से लोसिया के बीच की दूरी ३ किमी है। वाहन रद्देशन से देवीया आने के उम्म में चौतरावा से परस्तीनी ली दूरी ३ किमी पर बताते हैं।	वी.आर.05पी.वी. ६८२५ टेक्स—२०.११.२०२३ पिटनेस—२७.०२.२०२४ इन्सुरेस—२५.०४.२०२४ प्रदुषण—३१.०६.२०२३	१. समय—सारणी में दो पड़ाव के बीच लगाने वाला समय अंकित नहीं है। गति शीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आपत्तिकर्ता के वाहन का वी.एल.टी. वी. सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं है।	आपत्तिकर्ता— श्री सुनाप चंद तिवारी के वाहन संख्या वी.आर. ०५ पी.वी. ६८२५ का वी.एल.टी.डी. सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं होने के कारण १०००० रुपये जुमाना अधिरोगित। यदि आपत्तिकर्ता पाँच दिनों के अंदर जुमाना जान नहीं करते हैं तो उनको परगित निलंबित कर दिया जायेगा।

४

१२

५६

वाहन नम्बर- 2023 के कर्मचारी का क्र० सं०	वाहन संख्या का नाम एवं पुरुष वा महिला संख्या	वाहन संख्या	वाहन संख्या	सार्व एवं समय सारणी	दैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अनुदित	कार्यालय अभियुक्त वाले वाहन का विवरण	निर्णय	
40	श्रीनरी जयंती शिवारी, वी.आर.39पीए. पाति—सुभाष चंद्र तिवारी, पता—व्यार्ड नं० ०६, दिल्ली कला एवं नई गांडक रोड, हाजीपुर जिला—वैशाली। वर्तमान पता—शिवदग्नि रोडवेज, न्यू बस स्टैंड, बेतिया।	वी.आर.39पीए. -5025	16.04.2016 मॉडल 2016	गांग स्थाया ३४१४—तागड़ा देशन से बोलिया भागा— वाहन [१] नं०—15.06.2025 वाहन वाला, बोरारवा, वरसाँगी, लोहिया। प्रदर्शन चार छेप जाने आगा। वाहन स्टेशन प्र०— ०४.०५, ०८, १२, १२.१३, १५.४५ बैतिया ४०— ०६.५७, १०.११, १४.५५, १८.३।	दिनांक—17.01.2024 उपर्युक्त वाहन परन्ति से छोड़ा है। आपत्ति लग्प्राप्त है। इन्स्पीक्शन—17.01.2024 प्रक्रिया—05.06.2024					वाहन संख्या वी.आर.05पी. वी.—5025 ६। बेतिया में समय १०.३१ स्थीकृत होने के कारण चतुर्थ ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।	

← ↘ ↗ →

नाम नवाचर— 2023 के वार्षिकीय का क्रठ संख्या	वाहन रखनी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	मॉडल	सार्व एवं समय सारणी	वेधता	आपति	आपतिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभियुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय	
श्री आदिल्य कुमार, पिटा—छृदय नारायण, श्रीवास्तव, पता—बंडी स्थान, वाड़ न० ३४, बगहा जिला— प० घम्मारण।	बी.आ०.२२११५- ५६४५	१८.०७.२०२३	मोडल २०२३	मार्ग नं०३४-३८१४- बगहा स्टेशन से बेतिया गांव— बगहा बजार, चौतर्ख, परसोनी, लौरिय। पुलिस बार खेत चना आन।। बगहा स्टेशन प्र०-०२.४८, ०६. ४४, १२.१४, १६.२० लेपियः प्र०-०४.४२, ०९.२७, १३. ५९, १९.१९	ट्रैक्स—१४.०१.२०२४ प्रैटेन्स—१७.०७.२०२५ इन्जुरेंस—१७.०७.२०२४ प्रदूषण—१७.०७.२०२४	शापथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेशर है। १-आपतिकर्ता की सूची दें दियायी, वास्त जपती तिवारी ज्ञापाइ-२४४८, दिनांक-१३.०४.२०२३ (त्रैक्स- ५० बीआ०.२२११५-५६४५), मार्ग- बगहा स्टेशन से बेतिया। आपतिकर्ता ने अपडी में लिखा है— १. वाहन र०० बीआ०.२२११५-५६४५ का पर्सीट छु प्रबारन दिनांक १०.११.२०२३ का हुआ और बीगान आवृत्त जह अध्यक्ष छाग कार्यवाही में न० ॥५ के (V) में वहां आओ पहले पाता के निम्न के जावार पर प्राधिकार में हमार दडन से बीगान ५६२५। ५६२५ का अवेदन ज्ञापाक २३८ दिनांक १३.०४.२०२३ के प्राधिकार की बींच दिनांक ०८.०५.२०२३ के अध्यक्ष के छनाक १७ पर निर्णय जिला वर्धिकान ज० देवीरी पा. लम्हापुँ बेतिया से नार्ग ३० ३८१४ एवं ३८२५ सालायन के परायात प्रतिवेदन एवं फिर०० से नार्ग दर्शन प०या गये पर दियार तिया लायेगा फिर०० के कारण में अवेदन लाइट है। लिस में बगहा स्टेशन से बेतिया अने के काम ने प्रत्यावर्ती में बेतिया प्रस्थान ०६.४८ है जिसकी दालन र०० बी.आ० २२११५-५६४५ के आवेदन में बगहा स्टेशन से बेतिया आने कम ने छुनीय खेत में बेतिया प्रस्थान ०६.४४ दिया गया है जो भलत है। गायिकार के नियंत्रक के अनुसार पांच मैनें का स्लाट मुख्य बिंदु पर दाना अनिवार्य है।	ट्रैक्स—२०.११.२०२३ प्रैटेन्स—२७.०२.२०२४ इन्जुरेंस—२०.०४.२०२४ प्रदूषण—१७.०७.२०२४	१. हैरिया से बेतिया के बीच लगने वाला साथ त्रुटिपूर्ण अंकित है। गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। २. बक्सा एवं समय-सारणी में यूरी मिन्न है।	लौरिया से बेतिया के बीच लगने वाला समय त्रुटिपूर्ण अंकित करने एवं नक्शा तथा समय-सारणी में दूरी भिन्न अंकित होने के कारण ५००० रुपये जुम्मना जमा करने के शर्त पर वाहन संख्या बी. आ०.३१११५-५६२५ को बगहा स्टेशन में समय १२.१३ एवं बी.आ०.०६११११५- ५६२५ को बगहा स्टेशन में समय १६.२० स्वीकृत होने के कारण सुतीय एवं चतुर्थ द्विप कटाव के साथ स्वीकृत।		
						२. आवेदक द्वारा प्रथम लेप में लौरिया से बेतिया आने के काम लौरिया प्र० ०४.०३ में जुलकर बेतिया ०५. ३८ में पहुँचते हैं जिसमें समय ३५ मिनट लगता है। लकिन आवेदक ४० मिनट का लौरिया किये हुए है जो की लगत है।					

8 12

नाह नवगवर— 2023 के कार्यवाची का अंक सं.	लाहौन दस्तावेज़ का नाम एवं पुरा प्रदान	वहन संख्या	मोडल	नाम एवं समय सारणी	वैधता	आपति	आपतिकर्ता के वाहन का विवरण	अनुचित	कार्यालय अधिकारी वाहन का विवरण	निर्णय	
41 (2/2)	श्री आदित्य कुमार, पिता—हृदय नारायण, श्रीवास्तव, पता—चंडी रथन, लाडल १० ३४, बगहा जिला—८० सम्पारण।	श्रीआर.22ट्रैक्टर -5845	18.07.2023 मॉडल 2023	१०५ राष्ट्रीय-३८१४—बगहा स्टेशन से खेती गाँव— बगहा बाजार, छौतराम, परसौनी, लौरिया। प्रतिदिन चार घंटा जला जाना। घास के रेशन ५०—०२.४८, ०६, ४५, १२.१४, १८.२० चेतिया ग्रो—०४.४२, ०९.२७, १३. ५९, १८.१९	दैक्षिण्य—१४.०१.२०२४ फिटनेशन—१७.०७.२०२५ इन्स्ट्रुमेंट—१७.०७.२०२४ प्रदूषण—१७.०७.२०२४	०३. वाहन स्थानी द्वारा द्वारा गलत लिलोमीटर प्रिंटरलर द्वारा राशन राशनी में दो गलत अलेट कर आवेदन किया गया है। जल्दी यार्थ्याही ०६ घे (पि) में स्पष्ट किया गया है कि वहा पहली की दो घे की दुरी स्थी तथा तय करने के रामय रही रही हो अव्यया शोधकर का आवेदन रद्द किया जायेगा। शोधक सिरामर जाह ने भी आवेदन में गलत उकिति किया जाया जाता है लागे द्वारा समन ने भी गलत दिखा गया। जैसे श्रीमान आयुका सह अव्यया ने बैठक के दौरान टीडियो कॉन्स्ट्रैक्टर ने वयहा रेशन री बाजा बाजार की दुरी ५ किलोमीटर चौतराम से परसौनी ती दुरी ६.५ किलोमीटर तथा परसौनी से लौरिया की दुरी १३ किलोमीटर परिवहन नवाचिकरी के जींच के द्वारा का निर्णय ब्याया गया तब सी पूरा दाढ़ा ८० बीआरटीए, ५८४५ का नकाशन में द्वौतरा से परसौनी के बीच ले दुरी ५.०८ किलोमीटर के जगह ०७ किलोमीटर अधिक हो रही है। पूरा पल्लीनी से लौरिया की दुरी १३ किलोमीटर के जगह १४ किलोमीटर अकित किये हैं। इधाने पूर्ट याले आवंटन में इन लोगों के मौजूद विनेश्वर रिंग ने जो लिलोमीटर बगह स्टेशन से वेतिया का दिया उत्तर ७१ किलोमीटर दर्ज किया गया इसबत्त वो ७३ किलोमीटर ओपेटर किये हैं जो पूर्ण रूप से गलत है।					

8 9 10

नाम नवम्बर— 2023 के नियंत्रणी का फट रांग	दाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	दाहन संख्या	मॉडल	मार्ग एवं समय स्थानी	दैध्यता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के दाहन का विवरण	अस्थुकिंज	कायालय असिद्धिवित वाले दाहन का विवरण	निर्णय	
43	श्रीगांगे रामेश देवी, पति—गंगा यादव, पता—वार्ड नं 31, रत्नमाला, बगहा, जिला—पट्ट चम्पारण।	बी.उ.22पीए —5632	15.09.2023 —दिन 2023	नार्न संख्या—3814— बगहा स्थेशन से बैतिया गाव— बगहा चौतरावा, गरसौनी, लोरिया प्रतिदिन घार खप जाना आना। बगहा स्टेशन घो— 08.01, 11. 49, 16.19, 20.20 बैतिया घो— 09.27, 14.00, 18. 39, 22.30	ट्रेकर—13.09.2024 फिटन्स—14.09.2025 इन्युरेंस—14.09.2024 ब्रुमण 14.09.2024	शपथ पत्र के अनुसार दाहन स्पेयर है। 1—आपत्तिकर्ता—श्री डिगेलवर सिंह याते— उचा देवी दाहन से धीआर ०८पी.सी—4445 परमिट सं० बीआर 2023—एसी—०४४४५ गार्ग— बालिमकीलगर गोल चौक से बैतिया। आवेदक छारा प्रकाशित समय सारणी में परसौनी से चौतरावा एवं चौतरावा रो परसौनी की दुरी ६. ०४ किमी० दर्शाया गया है। जबकि चौतरावा से परसौनी की दुरी ४ किमी० है। नवशा एवं दुरी प्रगाग पत्र रोलरन हैं। इस तरह यह गति सीमा के उल्लंघन का विषय है।	बीकर ०६पी. सी—4445 ट्रेकर—19.02.2024 फिटन्स—18.06.2024 इन्युरेंस—13.12.2024 ब्रुमण—03.09.2024	1. जिला परिवहन पश्चिमार्थी पश्चिमी चम्पारण के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार परसौनी से चौतरावा के भीच की दुरी 6.८ किमी० है।			दाहन राख्या बी.आर 22पी.ए— 5845 का बैतिया में समय ०९.२७ एवं बी. आर.०५पी.बी.—5625 का बगहा स्टेशन में राग्य १६.२० स्थीर्कृत होने के कारण प्रथम एवं तृतीय ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।

8 12 →

कार्यालयी संख्या—3(iii) – परिशिष्ट-VI

अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन पत्रों पर विचार।

क्रम संख्या	वाहक का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	निर्णय
१	श्री बशिष्ठ कुमार सिंह, पिता-नवीरेन्द्र सिंह, कुमारपुर, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चंगारण।	BR06P-8309 परमिट संख्या— BR2023-SC-1718A डेटा-१०.०३.२०२४ फिल्म २७.१०.२०२४ इन्यूरेस-२१.१०.२०२४ प्रदूषण-१५.०६.२०२४	3000/- ०८.१२.२०२३	मर्मा संख्या-३९७२ डाउन, छपरा से मोतिहारी, भाया-बनियापुर, मलगलिया, महमदपुर, खलुरिया। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। छपरा प्र०- ०५:१८ मोतिहारी प्र०- ११:५५	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से निर्गत परमिट संख्या BR2023-SC-1718A के प्रतिहस्ताक्षर हेतु समय-सारणी का प्रकाशन कराया गया। प्रकाशनोपरान्त आपत्ति अप्राप्त है।	स्वीकृत।

वरीय उप समाहिता,
राजस्व, मुजफ्फरपुर।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

सम्बन्ध,

शपथ पत्र

मैं श्री/ श्रीमती पिता श्री.....

पता/ग्राम+पोइ थाना.....

जिला..... का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि मैं वाहन संख्या का मालिक/प्राधिकृत प्रतिनिधि हूँ।
2. यह कि वाहन संख्या के स्थायी परमिट (स्टेज कैरेज) हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया हूँ जिसका Acknowledgement No. है, जिसमें निम्नवत् त्रुटियाँ रह गई थीं:-
 (i)
 (ii)
 (iii)
3. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक की बैठक में उक्त त्रुटियों/अधुरे आवेदन के कारण आवेदन अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जा रहा था, लेकिन मेरे अनुरोध पर सशर्त शपथ-पत्र एवं जुर्माना देने का अनुरोध किया। उपर्युक्त त्रुटियों में सुधार हेतु स्वेच्छा से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा लगाया गया जुर्माना राशि रूपये देने हेतु तैयार हूँ। क्योंकि मुझे पुनः आवेदन देने में समय लगेगा, फीस भी लगेगी एवं मेरा इच्छित टाईम-स्लॉट भी नहीं बचेगा।
4. यह कि उक्त जुर्माना मेरे अनुरोध पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किया गया है। अतएव उक्त निर्णय के विरुद्ध मैं किसी भी न्यायालय या अधिकरण में अपील दायर नहीं करूँगा/करूँगी।
5. यह कि शपथ पत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य एवं तथ्य पर आधारित हैं एवं उपर लिखी हुयी सभी तथ्यों पर मेरी पूर्ण सहमति है एवं किसी प्रकार की गङ्गबङ्गी की पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी।

6. भविष्य में मैं पूर्ण आवेदन सभी साक्ष्यों सहित ही समर्पित करूँगा/करूँगी। अतः मेरे द्वारा जुर्माना राशि इस शपथ—पत्र के साथ समर्पित कर रहा/रही हूँ।

आवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि (शपथकर्ता) का हस्ताक्षर

कार्यकर्ता का मोबाइल नम्बर :—

वाहन स्वामी का मोबाइल नम्बर :—

शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया है।

अधिवक्ता

शपथ पत्र

मैं श्री/ श्रीमती पिता श्री..... पता/ ग्राम+पो0
 थाना..... जिला..... का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक बयान
 करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं वाहन संख्या का मालिक/प्राधिकृत कार्यकर्ता हूँ।
2. यह कि वाहन परमिट से आवृत्त है अथवा वाहन परमिट से आवृत्त नहीं है। (जो लागू हो स्पष्ट लिखें)।
3. यह कि मेरे वाहन का परिचालन बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत किया जाता है।
4. यह कि मेरे बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत निम्न वाहनों का परिचालन किया जाता है।

क्र0स0	वाहन संख्या	परमिट संख्या
1		

5. यह कि इसके अतिरिक्त कोई भी वाहन मेरे बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत परिचालन नहीं किया जाता है। यदि किसी अन्य वाहन को भविष्य में परिचालन हेतु बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत शामिल किया जाता है तो इसकी सूचना प्राधिकार को अविलम्ब दूँगा।
6. यह कि मैं वाहन के दोनों तरफ परमिट की संख्या एवं वैधता की तिथि अंकित करना सुनिश्चित करूँगा।
7. यह कि वाहन सीटर है अथवा स्लीपर है अथवा दोनों है। (जो लागू हो उसे लिखें)।
8. यह कि वाहन की परमिट प्राप्त करने के पश्चात उसकी आन्तरिक संरचना में मेरे द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
9. यह कि परमिट हेतु आवेदन करते समय आवेदित वाहन के अन्दर, बाहर के चारों तरफ (आगे, पिछे, दोनों साईड) का वाहन स्वामी के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ जिससे वाहन की निबंधन संख्या, वाहन सीटर/स्लीपर है, का पता चल सके, मोटरयान निरीक्षक से सत्यापन के साथ वाहन की अद्यतन मान्य कागजात यथा— टैक्स, फिटनेश, बीमा एवं प्रदुषण संलग्न है।
10. यह कि परमिट हेतु आवेदित वाहन के प्रकाशित समय—सारणी में वाहन की आयु के अनुसार गति सीमा एवं दूरी का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। गति सीमा की उल्लंघन होने पर परमिट रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी जो मुझे मान्य होगा।
11. यह कि अधिकृत एजेन्ट से वाहन का टिकट बुकिंग सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।
12. यह कि किसी अनाधिकृत एजेन्ट अथवा व्यक्ति का उपयोग टिकट बुकिंग कराने में नहीं किया जाएगा।
13. यह कि मान्य अनुज्ञित प्राप्त चालक एवं संवाहक का उपयोग वाहन परिचालन में किया जाएगा।
14. यह कि मेरे या मेरे परिवार में किसी सदस्य के नाम से निबंधित कोई भी वाहन कर-प्रमादी (tax defaulter) नहीं है।
15. यह कि उक्त वाहन से किसी भी प्रकार के व्यवसायिक माल की ढुलाई नहीं की जाएगी एवं परमिट की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

16. यह कि परमिट निर्गमन हेतु निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने अथवा शपथ पत्र में मेरे द्वारा घोषित बातों के असत्य पाये जाने पर मेरे परमिट को रद्द किया जा सकेगा एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जो मुझे मान्य होगा।
17. यह कि मार्ग की दूरी 250 किमी से अधिक होने पर दो चालक का उपयोग करँगा।
18. यह कि मेरे द्वारा परमिट की स्वीकृति हेतु समर्पित वाहन संख्या—..... पर पूर्व से राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, द्वारा अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग संख्या पर परमिट संख्या—.....निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक—..... से.....तक है।
19. यह कि मेरे द्वारा इस बात की सहमति प्रदान की जाती है कि परमिट की स्वीकृति हेतु राज्य परिवहन/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, के समक्ष दिनांक..... को समर्पित आवेदन में अंकित वाहन के पक्ष में परमिट की स्वीकृति के उपरान्त मेरे उक्त वाहन के पक्ष में निर्गत पूर्व परमिट स्वतः प्रत्यर्पित मानते हुये मेरे इस शपथ पत्र को ही बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-86 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत परमिट निर्गत करने वाले मूल प्राधिकार के समक्ष समर्पित परमिट प्रत्यर्पण संबंधी आवेदन माना जाय।
20. यह कि वाहन से संबंधित सभी समर्पित कागजात सही एवं तथ्यात्मक है।
21. यह कि परमिट प्राप्त करने के पूर्व, पूर्व में निर्गत परमिट की मूल प्रति मैं कार्यालय में प्रत्यार्पित कर दूँगा।
22. यह कि शपथ पत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य एवं तथ्य पर आधारित हैं एवं उपर लिखी हुयी सभी तथ्यों पर मेरी पूर्ण सहमति है एवं परमिट संबंधी आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

आवेदक/प्राधिकृत कार्यकर्ता (शपथकर्ता) का हस्ताक्षर

कार्यकर्ता का मोबाइल नम्बर :-

वाहन स्वामी का मोबाइल नम्बर :-

शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया है।

अधिवक्ता